अध्याय -4

मुख्य नियंत्री पदाधिकारी आधारित लेखापरीक्षा

अध्याय-4

सरकारी विभाग का मुख्य नियंत्री पदाधिकारी आधारित लेखापरीक्षा

4.1 पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग की कार्यप्रणाली

कार्यकारी सारांश

पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग, झारखण्ड सरकार पशुओं के उपचार, टीकाकरण, बन्ध्याकरण कृत्रिम गर्भाधान के साथ-साथ राज्य में दूध, मांस, अण्डा आदि के उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी है। विभाग विभिन्न योजनाओं यथा बकरा विकास योजनायें, कुक्कुट विकास योजनायें, सूकर विकास योजनायें, दुधारू पशु वितरण योजनायें इत्यादि के कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी है। लेखापरीक्षा में विभाग के दो निदेशालयों (पशुपालन एवं गव्य विकास) के 2007-12 के दौरान किये गये कार्यों की जाँच की गई।

लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष नीचे उल्लेखित हैं:

- नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर (1976) के प्रावधान के तहत् राज्य में आवश्यक 1,756 पशु अस्पतालों के विरूद्ध केवल 451 अस्पताल थे। पशु अस्पतालों/चिकित्सालयों में पर्याप्त आधारभूत सरंचनायें नहीं थे। राज्य में विभाग के अन्तर्गत केवल आठ दुग्ध शीतक केन्द्र चालू अवस्था में थे जिससे दुग्ध उत्पादकों के लिए उत्पादित दुग्ध के फायदेमन्द निष्पादन हेतु सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। यहाँ तक कि जगह के अभाव में दुग्ध केन्द्रों की स्थापना भी नहीं हो सकी। इसके अलावे पशु चिकित्सकों की कमी (32 *प्रतिशत*) थी।

  सरकार को पर्याप्त संख्या में पशु अस्पतालों, दुग्ध शीतक केन्द्रों, दुग्ध केन्द्रों और पशु चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए।

- राशि के आवंटन में विलंब के कारण योजना मद में राशि की भारी बचत हुई और मार्च के महीने में व्यय का वेग हुआ। जिला पशुपालन पदाधिकारियों (जि.प.पदा.)/बैंकों के पास अनुदान की बड़ी राशि पड़ी रहीं और जि.प.पदा. द्वारा लाभुकों के बैंक खाते में अनुदान की राशि के जमा किए जाने का अनुश्रवण नहीं किया गया।

  सरकार को मार्च महीने में खर्च के वेग के परिहार्य हेतु योजना मद की राशि का अधिकतम उपयोग एवं समायानुसार राशि का आवंटन सुनिश्चित करना चाहिए ।

सरकार को इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बैंकों के पास अनुदान की राशि का अनुश्रवण किया जाना भी सुनिश्चित करना चाहिए।

- बकरा विकास योजना के तहत सरकार ने बकरा शेड के निर्माण एवं बकरा खरीद को समक्रमित नहीं किया। बकरा खरीद हेतु निधि को पुनर्विनियोजित कर अन्य कार्यों में लगाया गया। अनुश्रवण की कमी के कारण योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ। लाभुकों से साक्षात्कार में पता चला कि बकरियाँ मर गई थीं, जिसकी जानकारी जि.प.पदा. को नहीं थी।

  सरकार को बकरों की खरीद और योजनाओं के अनुश्रवण को सुनिश्चित करना चाहिए।

- कुक्कुट विकास योजनाओं में लाभुकों के चयन में विलंब के कारण लक्ष्य प्राप्ति में कमी रही। जि.प.पदा. मुर्गियों के मर जाने से वाकिफ नहीं थे।

  विभाग को मुर्गियों के स्वास्थ की समुचित देखभाल एवं नियमित अनुकरण सुनिश्चित करना चाहिए ताकि योजना का इच्छित लाभ प्राप्त किया जा सके।

- पाँच नमूना-जाँचित जिलों के 38 लाभुकों के संयुक्त साक्षात्कार से पता चला कि 2009-12 के दौरान 17 लाभुकों के 223 सुकरों में से 46 सूकरों की मौत हो गई पर लाभुकों द्वारा बीमा का दावा पेश नहीं किया गया था क्योंकि सूकरों का बीमा नहीं था। ऐसा जि.प.पदा. द्वारा लाभुकों में जागरूकता उत्पन्न नहीं किये जाने के कारण हुआ जबकि इसके लिए निधि उपलब्ध थी।

  विभाग के लाभुकों में सूकरों के बीमा सम्बन्धी जागरूकता के उत्पन्न होने को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि लाभुकों को हानि से बचाया जा सके।

- पशु रोगों की रोकथाम के लिए राज्यों को सहायता (एस्काड) के तहत 2007-12 के दौरान टीकाकरण के लक्ष्य प्राप्तियों में खुरहा चपका (एफएमडी) रोग में 7 *प्रतिशत्*, बकरी प्लेग (पीपीआर) में 89 *प्रतिशत्*, लँगड़ा ज्वर (बीक्यू) एवं गलघोंटू (एच.एस.) में 40 *प्रतिशत्* एवं रानीखेत बीमारी में 88 *प्रतिशत्* की कमी टीकों के विलंब से/अल्प मात्रा में प्राप्ति के कारण हुई।

  विभाग को टीकाकरण द्वारा पशु रोगों के नियंत्रण हेतु ससमय एवं पर्याप्त टीके प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

- दुधारू मवेशी वितरण कार्यक्रम के तहत 2007-11 के दौरान नमूना-जाँचित जिलों में गायों के आंशिक खरीद किये जाने के कारण 3,670 इकाईयों के विरूद्ध केवल 2,611 इकाईयाँ (71 *प्रतिशत*) ही स्थापित हुई।

  विभाग को कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी गायों की खरीद सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि इच्छित लाभ को प्राप्त किया जा सके।

- झारखण्ड डेयरी परियोजना (जे.डी.पी.) जो राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) द्वारा संचालित (एम.ओ.यु.के तहत) है, 2008-12 के दौरान दुग्ध संग्रहण एवं उसके परिष्करण हेतु निर्धारित 12 जिलों के लक्ष्य के विरूद्ध ₹ 11.10 करोड़ खर्च कर केवल तीन जिलों को आच्छादित कर सका। विभाग ने एम.ओ.यु. की अवधि की समाप्ति के पश्चात ही जे.डी.पी. के प्रबंधन का भार उठाया (दिसम्बर 2012)।

4.1.1 भूमिका

पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग (ए.एच. और एफ.डी.) पशु सम्बन्धी बीमारियों के रोक थाम, दूध, अंडा, मांस इत्यादि के उत्पादन में वृद्धि और दुधारू मवेशी वितरण, नस्ल सुधार, बछिया पालन, बकरा, कुक्कुट एवं सूकर विकास कार्यक्रमों के सघन कार्यान्वयन द्वारा पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि हेतु उत्तरदायी है। विभाग कृषि श्रमिकों और छोटे/सीमांत किसानों को रोजगारोन्मुख अवसर प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका भी निभाता है।

लेखापरीक्षा कार्य संरचना

4.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग (ए.एच. और एफ.डी.) के शीर्ष में सचिव/प्रधान सचिव, झारखण्ड सरकार हैं जिन्हें राज्य स्तर पर तीन निदेशकों (पशुपालन, गव्य विकास एवं मत्स्यपालन) सहायता प्रदान करते हैं। पशुपालन प्रक्षेत्र में जिला पशुपालन पदाधिकारी (डी.ए.एच.ओ.) योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। उन्हें पशु शल्य चिकित्सकों, (भी.एस.), भ्रमणशील पशु चिकित्सकों और प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। गव्य विकास प्रक्षेत्र में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिला गव्य विकास पदाधिकारी (डी.डी.डी.ओ.) उत्तरदायी हैं। इसके अलावे विभाग का अपना टीका उत्पादन संस्थान, मवेशी, सूकर एवं कुक्कुट फार्म एवं किसान प्रशिक्षण केन्द्र हैं जो योजनाओं में सहयोग प्रदान कर उद्देश्यों की प्राप्ति कराते हैं। विभाग का संगठनात्मक ढाँचा ***परिशिष्ट 4.1*** *एवं* ***4.2*** में दिया गया है।

4.1.3 विभाग के उद्देश्य

पशुपालन निदेशालय के उद्देश्य हैं:

- राज्य में पशु विकास हेतु वर्त्तमान आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का सशक्तिकरण एवं समेकित करना;
- पशु उत्पाद जैसे दूध, अंडा, मांस इत्यादि में वृद्धि करना; और
- संकर नस्ल, आहार, समुचित प्रबंधन एवं पशु स्वास्थ्य आच्छादन हेतु विकसित सुविधाओं द्वारा ग्रामीण जनता के अतिरिक्त आय के स्रोत के रूप में पशुपालन को बढ़ावा देना है।

गव्य विकास (डी.डी.) निदेशालय के उद्देश्य हैं:

- दूध एवं दूध उत्पादों का संग्रहण, परिवहन और बिक्री हेतु दक्ष विपणन प्रणाली विकसित करना;
- दूध उत्पादकों के नजदीक पशु आहार, चारा, मिनरल एवं अन्य पूरक आहार एवं पशुओं के नस्ल सुधार का प्रबंधन; एवं
- राज्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु दूध उत्पादन में वृद्धि एवं स्थिर रोजगार का सृजन करना।

4.1.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारण करना था कि विभाग:

- के पास योजनाओं के कार्यन्वयन हेतु पर्याप्त आधारभूत संरचनाएं, मानव शक्ति और बजटीय संसाधन उपलब्ध थे;
- द्वारा योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ससमय एवं प्रभावपूर्ण तरीकों से किया गया;
- ने दूध, अंडा एवं मांस के उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति की;और
- में पर्याप्त अनुश्रवण एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र थे।

4.1.5 लेखापरीक्षा के मापदण्ड स्तरीकरण

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के मानक हेतु अपनाये गये मापदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए थे:

- झारखण्ड वित्त नियमावली, बजट मैन्यूअल और झारखण्ड कोषागार संहिता;
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और दूसरे केन्द्रीय योजनाओं का मार्ग दर्शिका;

- विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सरकारी आदेशों एवं अनुदेशों; और
- राज्य सरकार एवं कार्यान्वयन ऐजेन्सी (एन.जी.ओ.) के बीच किये गये एम.ओ.यु.।

4.1.6 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

मुख्य नियंत्री पदाधिकारी आधारित लेखापरीक्षा में विभाग के 2007-12 के अवधि के क्रियाकलापों को आच्छादित किया गया और इसका क्षेत्र विभाग के पशुपालन एवं गव्य विकास निदेशालयों तक सीमित रहा। राज्य के 24 जिलों में सिम्पल रैन्डम सैम्पलिंग विदाउट रीपलेसमेन्ट तरीके से चुने गये आठ[1] जिलों के 16 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (डी.डी.ओ.) के लेखा का लेखापरीक्षा (अप्रैल से जुलाई 2012) किया गया। सचिवालय, निदेशालयों एवं उनके जिला इकाईयों के अभिलेखों एवं संचिकाओं की जाँच की गई। प्रखण्ड सम्बन्धी सूचनायें जिला कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त की गई।

इसके अलावा प्रश्नावली निर्गत कर दूसरे सह कार्यालयों[2] से सूचनायें एकत्रित की गई। विभागीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में 282 लाभुकों (6,278 में से) का साक्षात्कार लिया गया एवं प्रश्नावली के माध्यम से सूचनायें प्राप्त की गई।

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों एवं क्षेत्र संबंधी विचार-विमर्श विभाग के सचिव के साथ प्रवेश सभा (एन्ट्री कन्फ्रेंस) में 30 मार्च 2012 को की गई। कई अनुरोधों के बावजूद भी सचिव/प्रधान सचिव समय नहीं दे पाये फलस्वरूप निकास सभा (एक्जीट कन्फ्रेंस) नहीं किया जा सका। यद्यपि विभाग के उत्तर प्राप्त हुए (नवम्बर 2012 और जनवरी 2013) और इस प्रतिवेदन में समुचित जगहों पर शामिल किये गए हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.1.7 संस्थागत प्रबंधन

प्रत्येक संस्था को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति एवं प्रबंधन हेतु सुदृढ़ योजना, पर्याप्त संरचना एवं मानव शक्ति एवं निधि की आवश्यकता होती है। ये सभी संस्थागत कार्यकलापों के मुख्य क्षेत्रों में आंतरिक प्रणाली एवं नियंत्रण की सुदृढ़ता एवं उपयुक्तता को सुनिश्चित करता है और संस्था को मितव्यय, दक्षतापूर्ण और प्रभावशाली तरीके से उद्देश्यों को प्राप्ति की ओर अग्रसर कराता है।

---

1 बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, लातेहार और राँची ।

2 विभाग के अन्तर्गत सूकर फार्म कांके, पॉलटरी फार्म, होटवार एवं बोकारो, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान (ए.एच.पी.आई), कांके, कृत्रिम गर्भाधान पदाधिकारी का कार्यालय, किसान प्रशिक्षण केन्द्र, कांके और पशु अस्पतालों।

हमने पाया कि विभाग ने 2007-12 अवधि में पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना तैयार किया। यद्यपि लक्षित लाभुकों के जरूरतों का पता नहीं किया गया क्योंकि अधीनस्थ कार्यालयों से कोई इनपुट नहीं लिया गया। कुछ क्षेत्रों में जहाँ कार्यकलापों का प्रबंधन कमजोर पाया गया आगे के कंडिकाओं में चर्चित है।

4.1.7.1 पशुपालन (ए.एच.) में आधारभूत संरचना की कमी

दक्ष टीकाकरण और पशुओं के चिकित्सा के लिए टीका उत्पादन संस्थान एवं उपयुक्त संख्या में तथा पर्याप्त आधारभूत संरचना युक्त पशु चिकित्सालयों का होना आवश्यक है। हमने पाया कि टीका उत्पादन संस्थान एवं पशु अस्पतालों/पशु चिकित्सालयों में निम्नलिखित कमियाँ थीं:

- ***टीका उत्पादन हेतु आधारभूत संरचना***

सरकारी पशु अस्पतालों में आपूर्ति एवं उपयोग हेतु पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान (ए.एच.पी.आई.) काँके राँची 1986 से बैक्टेरीयल एवं भाईरल बीमारियों का टीका[3] बना रहा था। संस्थान ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 की धारा 18 (सी) के तहत, आवश्यक उत्पादन लाइसेन्स के बिना जनवरी 2013 तक कार्यरत था क्योंकि लाइसेंस 31 दिसम्बर 2000 को ही कालातीत हो गया था। यह एक अपराध था जो उक्त अधिनियम की धारा 27(ए) के अन्तर्गत दण्ड के प्रावधान को आकर्षित करता है।

ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक नियमावली 1945 के शेड्युल एफ (1), भाग 1(ए) के अनुसार जिस प्रतिष्ठान में भाइरल/बैक्टेरीयल टीके बनाये जाते हैं वह एक ऐसे व्यक्ति के दिशा-निर्देश एवं नियंत्रण में रहेगा जो योग्य एवं बैक्टेरीओलोजी का विशेषज्ञ तथा भीरोलोजी में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ हो, साथ ही टीकों के उत्पादन एवं उनके गुणवता का पर्याप्त अनुभव रखता हो।

ए.एच.पी.आई. राँची द्वारा 2007-12 के दौरान उत्पादित टीकों की लक्ष्य प्राप्ति निर्धारित लक्ष्य का छः से 46 *प्रतिशत* के बीच रहा

ए.एच.पी.आई. द्वारा प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण से उद्घटित हुआ कि संस्थान टीकों के उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति में पीछे रहा एवं 2007-12 के दौरान लक्ष्य प्राप्ति निर्धारित लक्ष्य का छः *प्रतिशत्* एवं 46 *प्रतिशत्* के बीच रहा ***(परिशिष्ट-4.3)*** जिसके परिणामस्वरूप 2007-12 में पशुओं का कम टीकाकरण हुआ (जैसा ***कंडिका 4.1.9.4*** में चर्चित है) और पशु संक्रमक बीमारियों के लिए खुले रहे।

आगे, संस्थान 2007-12 के दौरान भाइरल टीका नहीं बना सका क्योंकि भाइरल टीके उत्पादन के विशेष साज-समान यथा लियोफलाइजर और एग इक्यूबेटर नहीं

[3] हेमरहैजिक सेप्टेसेमिया, ब्लैक क्वार्टर, रानीखेत और स्वाईन फीवर रोग।

खरीदे गये थे (अगस्त 2012) और प्रयोगशाला का गुड मैनुफैक्चरींग प्रैक्टिस[4] (जी.एम.पी.) मानक के अनुरूप आधुनिकीकरण किया जा रहा था।

हमने यह पाया कि जुलाई 2007 के बाद संस्थान के सर्वोच्च पद पर किसी भी माइक्रो बायोलोजिस्ट[5] की नियुक्ति नहीं हुई। अनुभवी एवं योग्य व्यक्ति के सर्वोच्च पद पर नियुक्ति नहीं होना टीकों के कम उत्पादन का एक कारण रहा जैसा कि ए.एच.पी.आई. के निदेशक का कहना था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (नवम्बर 2012) और कहा कि ड्रग लाइसेन्स के पुनर्नवीकरण हेतु आवश्यक कागजातों के साथ फीस की राशि जमा की गई थी (मई 2008)। विभाग ने यह भी कहा कि संस्थान के निदेशक को निदेशित किया गया था कि वे टीकों के उत्पादन में कार्यरत लोगों के योग्यता के बारे में ध्यान दें। यद्यपि विभाग संस्थान के सर्वोच्च पद पर योग्य व्यक्ति की नियुक्ति नहीं किये जाने के बारे में चुप रहा।

- ***पशु अस्पतालों (भी.एच.)/पशु चिकित्सालयों (भी.डी.) की प्रर्याप्तता***

विभाग के पास 451 भी.एच/ भी.डी. थे 5,000 पशुओं पर एक के मानक के विरूद्ध 19,470 पशुओं पर एक अस्पताल था

नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, 1976 (एन.सी.ए.) पर आधारित झारखण्ड सरकार के संकल्प के अनुसार पशु चिक्त्सिा सेवा प्रदान करने के लिए 5,000 पशुओं पर एक पशु अस्पताल की आवश्यकता थी। राज्य में 87.81 लाख पशु[6] थे और तदनुसार 1,756 पशु अस्पतालों की आवश्यकता थी। मार्च 2008 तक राज्य में केवल 451 अस्पताल[7] थे (अर्थात 19,470 गौ जाति पर एक) और मार्च 2012 तक अस्पतालों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकी थी। दो चरणों में विभाग ने राज्य योजना के तहत 2007-09 के दौरान (2007-08:115, 2008-09:185) 300[8] पशु अस्पतालों के भवन निर्माण की योजना बनायी। विभाग ने प्रथम चरण में 115 भी.एच. निर्माण हेतु पाँच क्षेत्रीय निदेशकों (आर.डी.) को कुल ₹ 6.99 करोड़[9] की मंजूरी एवं आवंटन (मार्च 2008) प्रदान किया। आगे, 2010-12 के दौरान विभाग ने ₹ 38.32[10] करोड़ 250 अस्पतालों (नव निर्माण

---

4 ड्रग्स और कॉस्मेटिक नियम 1945 में वर्णित शेडयूल 'एम' के अनुसार सभी उत्पादन इकाई/जाँच प्रयोगशालाओं में जी.एम.पी. मानक होना चाहिए। भारत सरकार ने इसे जुलाई 2005 से अनिवार्य कर दिया है।

5 माइक्रोंबायोलोजी जिसमें वीषाणुविज्ञान, माइकोलोजी, पारासीटोलोजी, बैकट्रीयोलोजी, आदि सम्मलित है।

6 18 वें पशु जनगणना 2007 के अनुसार।

7 भी.एच: 424, भी.डी: 23 एवं चलन्त अस्पाताल: 4।

8 153 भवनहीन, 61 अस्त-व्यस्त स्थिति में और 86 मरम्म्त योग्य।

9 प्रत्येक भी.एच. के लिए प्राक्कलित राशि `₹ 6.08 लाख थी।

10 प्राक्कलित राशि: भी एच. के नवनिर्माण हेतु ₹ 15 लाख और पुनर्स्थापन हेतु ₹ 10 लाख; और भी.डी. के नवनिर्माण हेतु ₹ 11.60 लाख और पुनर्स्थापन हेतु ₹ 6 लाख।

194 भी.एच. एवं 4 भी.डी. और पुनरूद्धार 46 भी.एच. एवं 6 भी.डी.) के लिए मंजूर किया।

2007-12 के दौरान स्वीकृत 365 के विरूध मात्र 130 भी.एच./भी.डी. का निर्माण पूरा किया गया

अभिलेखों एवं एकत्रित सूचनाओं की संवीक्षा से पता चला कि 2007-08 के दौरान शुरू किए गए 90 पशु अस्पतालों में से 84 अस्पतालों का निर्माण कार्य पूरा हुआ जबकि छः अस्पताल उनके निर्माण की धीमी प्रगति के कारण दिसम्बर 2012 तक अपूर्ण रहे। भूमि की अनुपलब्धता एवं दर अनुसूची में वृद्धि (मई 2008) के बावजूद लागत मूल्य के संशोधन न होने के कारण 25 अस्पतालों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। विभाग के दिशा निर्देश (दिसम्बर 2009) के अनुसार कार्यकारी ऐजेन्सी द्वारा ₹ 1.52 करोड़ (दिसम्बर 2009; ₹ 1.46 करोड़ एवं मई 2010; ₹ 0.06 करोड़) संबंधित आर.डी. को लौटा दिया गया। आगे 2010-11 में मंजूर किये गये आठ पशु अस्पतालों में केवल एक[11] एवं 2011-12 में मंजूर किये गये 242 में से 45 भी.एच./भी.डी. जनवरी 2013 तक पूरे किये जा सके।

इस प्रकार 2007-12 के दौरान मंजूर किये गए 365 भी.एच./भी.डी. में से केवल 130 भी.एच./भी.डी. ही जनवरी 2013 तक पूर्ण किये जा सके।

विभाग ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

- ***अस्पतालों/चिकित्सालयों में आधारभूत संरचना सुविधा***

कई भी.एच./भी.डी. के पास जल, विधुत आपूर्ति, रेफ्रिजेरेटर, भण्डारण आदि सुविधा नहीं थे

पशुओं के सेवा प्रतिपादन में भी एच.[12]/भी.डी.[13] की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। भारत सरकार के मार्ग-दर्शिका के अनुसार भी.एच/भी.डी. के लिए अच्छी हालत में एक अस्पताल भवन का होना स्वच्छ जल की उपलब्धता, सामान रखने की सुविधा, रेफ्रिजेरेटर और आधुनिक मशीन/औजार होना चाहिए।

आठ नमूना-जाँचित जिलों के 173 टी.भी.एस./10 भी.एस. में से 128 अस्पतालों/चिकित्सालयों के भ्रमणशील चिकित्सकों और 9 पशु शल्य चिकित्सकों से प्राप्त सूचनाओं की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि 137 भी.एच./भी.डी. में से 39 के पास अपना भवन नहीं था। 47 भी.एच./भी.डी.में स्वच्छ जल की और 31 भी.एच./भी.डी. में सामान रखने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। 60 भी.एच./भी;डी. के पास रेफ्रिजेरेटर नहीं थे। बिजली की आपूर्ति नहीं रहने के कारण 73 भी.एच./भी.डी. में रेफ्रिजेरेटर का चलना संदेहात्मक था। आभारभूत सुविधाओं की कमी ने पशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के प्रतिपादन को बुरी तरह प्रभावित किया।

---

[11] कोलेबीरा (सिमडेगा)।

[12] प्रखंड एवं ग्राम स्तर पर टी.भी.ओ. के अधीन।

[13] जिला स्तर पर भी.एस. के अधीन।

विभाग ने कहा (जनवरी 2013) कि भी.एच./भी.डी. में मूलभत संरचनाओं हेतु निधि चालू वित्तीय वर्ष में मुहैया कराये जा रहे थे।

गव्य विकास

- ***दुग्ध शीतलता हेतु संरचना***

ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों द्वारा उत्पादित दूध के लाभदायक बिक्री हेतु दुग्ध शीतक केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण/पुनरूद्धार एवं नये दुग्ध शीतक केन्द्रों की स्थापना किया जाना 2007-08 के वार्षिक योजना में समाहित किये गए। फरवरी 2013 तक राज्य में स्थित दुग्ध शीतक केन्द्रों की वस्तुस्थिति **तालिका -1** में दिए गये हैं।

तालिका-1: राज्य में दुग्ध शीतक केन्द्रों की वस्तुस्थिति

कुल जिले	राज्य में दुग्ध शीतक केन्द्रों की संख्या			नमूना-जाँचित जिले	
	कार्यशील	अकार्यशील	स्वीकृत एवं निर्माणाधीन	कार्यशील	अकार्यशील
24	8[14]	6[15]	6[16]	4[17]	3

(स्रोत: गव्य विकास निदेशालय)

नमूना-जाँचित जिलों में अवस्थित दुग्ध शीतक केन्द्रों के दुग्ध बिक्री पंजी एवं अन्य सम्बधित अभिलेखों से निम्नलिखित उद्घाटित हुआ।

24 जिलों में केवल आठ दुग्ध शीतक केन्द्र कार्यशील थे। छः शीतक केन्द्र अकार्यशील पड़े रहे

- डी.डी.डी.ओ. के कथनानुसार दो दुग्ध शीतक केन्द्र दुमका एवं गुमला जिलों प्रत्येक में एक-एक क्रमश: 2006 एवं मार्च 2012 से खराब साधनों के कारण बन्द थे। उपकरणों के पुनरूद्धार करने की जरूरत थी। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में दुग्ध शीतक केन्द्र के निर्माण हेतु विभाग ने ₹ 2.25 करोड़ (मार्च 2010 ₹ 0.25 करोड़ और मार्च 2011 ₹ 2 करोड़) की राशि डी.डी.डी.ओ. को निर्गत किया। डी.डी.डी.ओ. पूर्वी सिंहभूम ने ₹ 0.25 करोड़ की राशि चहारदीवारी, समतलीकरण एवं डीप टयूब वेल के अधिष्ठापन पर खर्च किया। उसने ₹ 0.75 करोड़ की राशि दुग्ध शीतक केन्द्र के भवन निर्माण हेतु कार्यपालक अभियंता (ई.ई.) भवन निर्माण विभाग जमशेदपुर (कार्यकारी एजेंसी) को हस्तांतरित किया (मार्च 2011) और ₹ 1.25 करोड़ की राशि अपने बैंक बचत खाते में रखा (अप्रैल 2011)। जूलाई 2012 तक ई.ई. निर्माण कार्य शुरू नहीं कर सका क्योंकि उसे उक्त शीतक केन्द्र में विद्युत खपत के अनुमानित आवश्यकता को नहीं बताया गया जो भवन में विधुत साज-सज्जा की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक था।

शीतक केन्द्र के लिए आवंटित ₹ 1.25 करोड़ बचत खाता में रखा गया

[14] देवघर, धनबाद, हजारीबाग, गिरीड़ीह, कोडरमा, लातेहार, लोहरदागा एवं राँची।.

[15] दुमका, गुमला, खूँटी, राँची, सराईकेला एवं साहेबगंज ।

[16] गोड्डा, जामताड़ा, जमशेदपुर, सिमडेगा एवं रॉची (2)।

[17] देवघर, धनबाद, लातेहार एवं राँची ।.

इस प्रकार निधि की उपलब्धता के बावजूद शीतक केन्द्र का निर्माण शुरू नहीं हो सका।

- देवघर एवं लातेहार जिलों में अवस्थित शीतक केन्द्रों में दूध की आपूर्ति में कमी के कारण सितम्बर 2007 एवं मार्च 2008 के बीच ₹ 18.51 लाख[18] की लागत से अधिष्ठापित दही, घी, पनीर और खोवा बनाने के मशीने का उपयोग नहीं हो सका। इस प्रकार ₹ 18.51 लाख का खर्च निष्फल रहा।

इस प्रकार दूध उत्पादकों द्वारा उत्पादित दूध के लाभदायक बिक्री हेतु बाजार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य की पूर्ति पूरी तरह नहीं हो पाई।

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2012) कि बंद पड़े शीतक केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण एवं सभी जिलों में चरणबद्ध तरीकों से कुछ दुग्ध शीतक केन्द्रों के निर्माण हेतु योग्य निजी सहभागी का चयन की प्रक्रिया जारी थी। जवाब मानने योग्य नहीं था क्योंकि दुमका में बंद पड़े शीतक केन्द्र को चालू करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, वस्तुत: गुमला अवस्थित शीतक केन्द्र मार्च 2012 से कार्य करना बंद कर दिया और जमशेदपुर के शीतक केन्द्र का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका।

- ***मिल्क बूथ पर अकार्यशील विनियोग***

शहरी उपभोक्ताओं के बीच दुग्ध एवं दुग्ध जनित पदार्थों की समुचित एवं अचल बिक्री सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने नौ जिलों (आठ नमूना-जाँचित जिलों में से चार[19] जिले शामिल) में 108 पोर्टेबल मिल्क बूथ (मिल्क पारलर) (2010-11: 28 और 2011-12:80) के अधिष्ठापन के लिए ₹ 2.63 करोड़[20] (अगस्त 2010 और जुलाई 2011) की मंजूरी दी। डी.डी.डी.ओ. को मिल्क बूथों के लिए जगह का चुनाव कर विभाग को निधि उपलब्ध कराने हेतु सूचित करना था।

जगह के अभाव में 18 मिल्क बूथ का अधिष्ठापन नहीं हुआ

अभिलेखों की संवीक्षा से उदघाटित हुआ कि 2010-12 में मंजूर किये गये 18 मिल्क बूथों (देवघर, 13 एवं गुमला, 5) जगह की अनुलब्धता के कारण अधिष्ठापित नहीं किये गये। यद्यपि, आवंटित ₹ 44.25 लाख की राशि में से ₹ 42.33 लाख की राशि 18 मिल्क बूथों के सामग्री[21] की खरीद पर खर्च कर दिये गए जो जुलाई 2012 तक अकार्यशील रहे। आगे, गुमला का दुग्ध शीतक केन्द्र मार्च 2012 से बन्द हो गया। परिणामस्वरूप अधिष्ठापन होने के बावजूद

---

18 देवघर: रू 16.33 लाख और लातेहार: रू 2.18 लाख।

19 धनबाद:14, देवघर:13, गुमला:5, और रॉची: 44।

20 2010-11: मिल्क बूथ की सामग्री- ₹ 1.85 लाख और फर्निचर- ₹ 0.40 लाख और 2011-12:मिल्क बूथ की सामग्री- ₹ 2 लाख और फर्निचर- ₹ 0.50 लाख।

21 मूल्य ₹ 42.33 लाख (देवघर:₹ 30.47 लाख और गुमला ₹ 11.86 लाख) ।

देवघर एवं गुमला के मिल्क बुथों के अधिष्ठापन नहीं होने के कारण ₹ 42.33 लाख की सामग्री अकार्यशील रहे

मिल्क बूथ का उपयोग नहीं हो सकता है। राँची और धनबाद में मिल्क बूथों का अधिष्ठापन प्रगति पर था।

इस प्रकार ₹ 42.33 लाख के खर्च के बावजूद योजना के उद्देश्यों की लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकी।

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2012) कि बाकी बचे मिल्क बूथों के अधिष्ठापन के लिए योग्य भूमि को चिन्हित किया जा रहा था। उत्तर ठीक नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा योग्य भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना निधि निर्गत किया गया था।

4.1.7.2 मानव बल की पर्याप्तता

पशुपालन प्रक्षेत्र में बी.ए.एच.ओ., टी.भी.ओ. और एल.ए. एवं गव्य विकास प्रक्षेत्र में डी.डी.डी.ओ., सहायक डेयरी एक्सटेंशन आफिसर और इनपुट सुपरवाइजर विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के लिए मुख्य कार्यपालक थे।

पशुचिकित्सकों की 32 *प्रतिशत* कमी थी

हमने पाया कि राज्य में स्वीकृत बलों की तुलना में 249 पशु चिकित्सकों की कमी (32 *प्रतिशत*) एवं नमूना-जाँचित जिलों में 78 चिकित्सकों की कमी (26 *प्रतिशत*) थी। अराजपत्रित कर्मचारियों की राज्य एवं नमूना-जाँचित जिलों में कमी क्रमश: 37 एवं 38 *प्रतिशत* थी। आगे गव्य विकास प्रक्षेत्र में राज्य स्तर पर तकनीकी पदाधिकारी/स्टाफ और गैर-तकनीकी पदाधिकारी/स्टाफ की कमी क्रमश: 48 एवं 27 *प्रतिशत* थी। नमूना-जाँचित जिलों में स्वीकृत बलों की तुलना में यह कमी 53 और 45 *प्रतिशत* थी। मार्च 2012 तक दोनों निदेशालयों में मानव बल की कमी का विवरण ***परिशिष्ट 4.4*** में दिए गए हैं।

मानव बल की कमी से सेवा प्रतिपादन प्रभावित हुआ जो ***कंडिका 4.1.9*** में चर्चित है। हमने यह भी अवलोकन किया कि पशुपालन निदेशालय के अन्तर्गत बी.ए.एच.ओ. विकास कार्यों, कानून व्यवस्था, परीक्षा एवं चुनाव आदि कार्यों में लगे रहे जिससे उनके द्वारा किए जाने वाले योजनाओं का अनुश्रवण/सहायता बाधित हुआ। डी.ए.एच.ओ. एवं डी.डी.डी.ओ. ने इस तथ्य को स्वीकार किया।

4.1.8 वित्तीय नियम, आदेश इत्यादि का अनुपालन

दृढ़ वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए यह जरूरी है कि व्यय वित्तीय नियमों, विधानों और योग्य प्राधिकारों द्वारा निर्गत आदेशों के अनुरूप किए जाते हों। नियम एवं विधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के उदाहरण नीचे विमर्शित हैं:

4.1.8.1 वित्तीय नियंत्रण, बजट आवंटन एवं व्यय

योजना मद के निधि का भारी बचत हुआ

विभाग का वित्त पोषण प्रधानतया राज्य बजट के द्वारा मुख्य शीर्ष 2403-पशुपालन ओर 2404-गव्य विकास के अन्तर्गत किया गया था। इसके अलावा, केन्द्र संपोषित योजनाओं हेतु निधि भी राज्य बजट के द्वारा राज्यांश और केन्द्रांश के हद तक दिया गया था। 2007-12 के दौरान पूरे बजट आवंटन एवं किए गए व्यय को **तालिका-2** में दर्शाया गया है।

तालिका-2: बजटीय प्रावधान एवं व्यय

पशुपालन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	योजना			गैर- योजना		
	प्रावधान	व्यय	बचत	प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	32.14	23.20	8.94 (28)	44.60	41.81	3.16 (7)
2008-09	32.89	26.89	6.01 (18)	56.46	53.02	3.43(6)
2009-10	26.05	21.89	4.16 (16)	77.02	61.69	15.33(20)
2010-11	42.45	26.97	15.48 (36)	67.67	63.43	4.24(6)
2011-12	59.21	37.60	21.61 (36)	75.42	71.86	3.56(5)
कुल	**192.74**	**136.55**	**56.20 (29)**	**321.17**	**291.81**	**29.72 (9)**

स्रोत: पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग। कोष्ठक में अंक उपबंध का प्रतिशत बतलाता है।

गव्य विकास

(₹ करोड़ में)

वर्ष	योजना			गैर-योजना		
	प्रावधान	व्यय	बचत	आबंटन	व्यय	बचत
2007-08	39.65	34.53	5.12 (13)	3.93	3.67	0.26 (7)
2008-09	46.00	44.15	1.85 (4)	4.69	4.48	0.21 (4)
2009-10	47.10	46.09	1.01 (2)	5.87	5.59	0.28 (5)
2010-11	55.00	46.74	8.26 (15)	6.05	5.83	0.22 (4)
2011-12	66.00	53.64	12.36 (19)	6.84	6.54	0.30 (4)
कुल	**253.75**	**225.15**	**28.60 (11)**	**27.38**	**26.11**	**1.27 (5)**

स्रोत: पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग। कोष्ठक में अंक उपबंध का प्रतिशत बतलाता है।

2007-12 के दौरान पशुपालन (ए.एच.) निदेशालय का योजना व्यय उपबंध की निधि का 64 और 84 *प्रतिशत्* के बीच था जबकि गव्य विकास निदेशालय में यह 81 एवं 98 *प्रतिशत्* के बीच रहा।

पशुपालन के अन्तर्गत निधियों का प्रावधान पशुओं की संख्या में वृद्धि के साथ समक्रमित नहीं था

पशुपालन के अन्तर्गत निधि का उपबंध पशुओं की वास्तविक संख्या[22] के साथ नहीं बढ़ाया गया। यद्यपि 2008-09 में 2007-08 की तुलना में पशुधन की संख्या 1.02 *प्रतिशत्* बढ़ी पर 2009-10 में पशुपालन के उपबंध एवं व्यय पिछले वर्ष से ₹ 6.84 करोड़ (20.80 *प्रतिशत्*) एवं ₹ 5.00 करोड़ (18.60 *प्रतिशत्*) क्रमश: कम हुआ।

[22] 2007-08:159.37 लाख; 2008-09:161.01 लाख 2009.10:161.76 लाख; 2010-11:152.52 लाख और 2011-12:166.05 लाख।

अत: कम उपबंध के कारण पशुओं के स्वास्थ्य एवं पशुधन उत्पाद पर विपरीत प्रभाव पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता था।

वित्त विभाग के 17 अप्रैल 1998 के कार्यकारी स्थायी अनुदेश के अनुसार कोषागार से अग्रिम की निकासी जे.टी.सी. के नियम 300 के तहत ही किया जा सकता है। संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि सरकार ने 2011-12 के बजटीय उपबंध के अन्तर्गत ₹ 1.10 करोड़ की राशि राँची में 11 पशु अस्पतालों के निर्माण हेतु आवंटित (मार्च 2012) किया। कोषागार पदाधिकारी डोरंडा राँची ने यद्यपि अग्रिम की निकासी स्थायी कार्यकारी अनुदेश (अप्रैल 1998) का उलंघन करार देते हुए निकासी पर आपत्ति जताया था। अत: निधि की निकासी नहीं हो पायी और फलस्वरूप ₹ 1.10 करोड़ की राशि व्ययगत हो गई।

4.1.8.2 मार्च महीने में व्यय का वेग

झारखण्ड बजट मन्युअल के नियम 113 के अनुसार व्यय का वेग खास कर वित्तिय वर्ष के अंतिम महीने में होना वित्तिय नियम का उल्लंघन है, जिसे परिहार्य किया जाना चाहिए।

हमने पाया कि वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान पशुपालन में मार्च महीने में योजना व्यय कुल व्यय का 55 और 66 *प्रतिशत* के बीच एवं गव्य विकास में 56 और 85 *प्रतिशत* के बीच रहा। इसी तरह की बात[23] नमूना-जाँचित जिलों में भी देखा गया। मार्च महीने में व्यय का वेग का होना विभाग द्वारा व्यय का अपर्याप्त अनुश्रवण के खतरे से भरा था।

2007-12 के दौरान लिए गये तीन विभिन्न योजनाओं के 10 मामलों[24] में सभी डी.ए.एच.ओ. को राज्यादेश के निर्गत होने की तारीख से 53 से 180 दिनों के विलंब से आवंटन पत्र जारी किए गए।

मार्च में व्यय के वेग को परिहार्य किया जा सकता था अगर विभाग राज्यादेश निर्गत होने के तुरंत बाद निधि का आवंटन करता। यह मुख्य नियंत्री पदाधिकारी के कमजोर वित्तीय प्रबंधन को भी इंगित किया।

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2012) कि यह लाभुकों के चुनाव में विलंब के फलस्वरूप हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आवंटन पत्र राज्यादेश के निर्गत होने के तुरंत बाद निर्गत नहीं किया गया।

---

[23] पशुपालन: 44 से 78 *प्रतिशत*; गव्य विकास: 43 से 86 *प्रतिशत*।

[24] बकरा विकास: 2007-08; 154 दिनों का प्रत्येक तीन आवंटन आदेशो में, 2009-10; 103 दिन एवं 158 दिन 2010-11; 164 दिन और 2011-12; 53 दिन, 80 दिन और 180 दिन, सूकर विकास: 2009-10; 103 दिन एवं अस्पताल एवं औषधालय भवन का निर्माण 2011-12; 170 दिन।

4.1.8.3 अनुदान प्रबंध

पशुपालन

स्वीकृति आदेशों के अनुसार जि.प.पदा. द्वारा अनुदान राशि लाभुकों के बैंक खातों में विमुक्त किया जाना था। विहित तंत्र के अभाव में प्रस्तावित लक्षित लाभुकों को ऋण स्वीकृति या ऋण स्वीकृत होने की प्रक्रिया से संबंधित सूचना सहित दावा विपत्र प्राप्त होने के बाद जि.प.पदा. ने अनुदान की राशि बैंक शाखाओं में विमुक्त किया। 2009-12 के दौरान नमूना-जाँचित जिलों के 2051 लाभुकों का ₹ 3.47[25] करोड़ अनुदान उनके खातें में जमा करने हेतु विभिन्न बैंक शाखाओं को विमुक्त करने के लिए कोषागार से आहरित किया गया।

जिला पशुपालन पदाधिकारियों को लाभूकों के खातें में अनुदान की राशि जमा होने की सूचना नहीं थी

नमूना-जाँचित जिलों के जि.प.पदा. द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं की संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि यद्यपि 2009-12 के दौरान 1,676 लाभुकों का ₹ 2.65 करोड़ अनुदान विभिन्न बैंकों को विमुक्त किया गया था लेकिन जि.प.पदा. को इस बात की सूचना नहीं थी कि बैंक से ऋण स्वीकृत हुआ या प्रस्तावित लाभुकों के खाते में वास्तव में राशि जमा की गई थी और उनका अपना अंशदान दिया गया था।

हमने पाया कि 375 चयनित लाभुकों का ₹ 0.82 करोड़ का अनुदान बैंकों के दावा विपत्र के अभाव में जि.प.पदा. के पास पड़े हुए थे। पूछे जाने पर, जि.प.पदा. ने बताया कि 1,676 लाभुकों के खाते में अनुदान जमा करने संबंधी सूचना सम्बंधित बैंकों से प्राप्त कर उपलब्ध करायेंगे। यह विभाग में अनुदान उपयोग पर नियंत्रण तंत्र की अनुपस्थिति को दर्शाता है।

गव्य विकास

दुधारू पशु वितरण कार्यक्रम[26] के अन्तर्गत ऋण प्रक्रिया हेतु लाभुकों की सूची बैंकों को भेजी जानी थी। बैंक द्वारा आवेदन एवं पात्रता की आवश्यक सत्यापन के बाद अनुदान का दावा जि.ग.वि.पदा. को प्रस्तुत किया जाना था। झा.स. के आदेशानुसार छः महीने के अन्तराल पर पशुओं का क्रय दो चरणों में किया जाना था। तदनुसार बैंकों को अनुदान विमुक्त किया जाना था।

गाय खरीद पंजी एवं सात[27] नमूना-जाँचित जिलों के जि.ग.वि.पदा. द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं की संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि लाभुकों द्वारा गाय की खरीद नहीं

---

[25] पूर्वी सिंहभूम में कुक्कुट एवं सूकर विकास योजनाओं को छोड़कर क्योंकि जि.प.पदा. द्वारा सूचना नहीं दिया गया।

[26] एक कार्यक्रम जिसमें सरकार द्वारा अनुदान (20 और 50 प्रतिशत के बीच) पर संकर नस्ल की गाय एवं भैंस प्रस्तावित लाभुकों के बीच वितरित किया जाता था।

[27] जि.ग.वि.पदा. देवघर द्वारा सूचना नहीं दिया गया।

₹ 3.04 करोड़ की अनुदान की राशि बैंकों में अव्यवहृत पड़े थे

किये जाने के कारण 2007-12 के दौरान ₹ 3.04 करोड़[28] (राज्य योजना: ₹ 26.84 लाख एवं रा. कृ. वि. यो.: ₹ 2.77 करोड़) की अनुदान की राशि बैंकों में अव्यवहृत पड़े थे। जि.ग.वि.पदा. द्वारा बताया कि प्रथम चरण के गाय क्रय के बाद लाभुकों द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया गया इसलिए द्वितीय चरण हेतु ऋण एवं अनुदान राशि बैंकों द्वारा जमा नहीं किया गया और अनुदान राशि अव्यवहृत पड़ी रही।

जवाब पूरी तरह से सही नहीं था क्योंकि 2007-11 के दौरान 3,670 मामलों में से 332 मामलों में प्रथम चरण की गायें भी क्रय नहीं की गई थी। आगे, बैंकों को विमुक्त राशि जो अव्यवहृत थी, को जि.गा.वि.पदा. के लेखा में अनियमित रूप से व्यय दिखाया गया। बैंकों द्वारा अवितरित राशि को कोषागार में प्रेषित करने संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

विभाग द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2012) कि अनुदान उपयोग में शत् प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

4.1.9 सेवा प्रदान

अंडा, दूध एवं मांस के उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप ग्रामीण जनता के लिए रोजगार सृजित करने तथा उनकी आमदनी बढ़ाने के लिये विभाग द्वारा कुक्कुट विकास, सूकर विकास, बैकयार्ड पाल्ट्री, बकरा विकास, मवेशी वितरण तथा चारागाह विकास योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया और टीकाकरण, पशुधन का उपचार, कृत्रिम गर्भाधन इत्यादि सेवाएं प्रदान की गई।

पशुपालन

वर्ष 2007-12 के दौरान विभाग द्वारा राज्य योजना तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओं के अंतर्गत बकरा, कुक्कुट तथा सूअर विकास की योजनाओं को लिया गया। योजनाओं के उद्देश्यों/लक्ष्यों, निधि तथा व्यय को ***परिशिष्ट 4.5*** में वर्णित किया गया है।

[28] 2007-08: ₹ 26.62 लाख, 2008-09 ₹ 64.79 लाख, 2009-10 ₹ 29.60 लाख, 2010-11 ₹ 46.90 लाख और 2011-12 ₹135.87 लाख।

4.1.9.1 बकरा विकास योजना

(अ) बकरे के लिये आधारभूत संरचना का निर्माण

बकरी क्रय की राशि को विचलित किये जाने के कारण बकरियों के लिए सिर्फ सेड का निर्माण किया गया

बकरा विकास योजना के तहत् सरकार द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत बकरों की खरीद तथा आधारभूत संरचना (बकरा शेड) के निर्माण इत्यादि के लिए ₹ 6.49 करोड़ की स्वीकृति (सितम्बर 2007) प्रदान की गई। जिसमें से ₹ 5.47 करोड़ को पशु अस्पताल के निर्माण में पुनर्विनियोजित (मार्च 2008) में कर दिया गया। सरकार के आदेश (फरवरी 2008) के तहत् विभाग द्वारा ₹ 1.02 करोड़ की निकासी (मार्च 2008) में की गई तथा बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से दो जिला पशुपालन पदाधिकारियों[29] राँची (150 इकाई) तथा दुमका जिले (225 इकाई) में पशुपालकों को बकरा शेड निर्माण करवाने के लिये उपलब्ध कराई गई (मई 2008)। प्रति इकाई की कीमत ₹ 27,130 (शेड निर्माण- ₹ 24,000, खिलाने के उपकरण ₹ 2,650 तथा अनुश्रवण एवं परिवहन- ₹ 480 थी। जि.प.पदा. ने (सितंबर 2008 तथा मार्च 2010 के बीच) लाभुकों को 356 शेडों के निर्माण के लिये ₹ 81.97[30] लाख अग्रिम के रूप में भुगतान किया। उन्होंने खिलाने के उपकरण खरीद तथा परिवहन पर ₹ 7.03 लाख[31] खर्च किये। बचे हुए 19 शेडों[32] का निर्माण पूरा नहीं हुआ। अव्यवहृत राशि में से जि.प.पदा. राँची के पास ₹ 8.07 लाख थे जबकि जि.प.पदा., दुमका ने ₹ 4.67 लाख कोषागार में प्रेषित कर दिया (जून 2010)। विभाग के पास वास्तव में पशुपालकों द्वारा पूर्ण शेडों की संख्या की जानकारी नहीं थी। यद्यपि योजना की स्वीकृति (सितंबर 2007) में शेडों तथा बकरियों दोनों के वितरण का प्रावधान था पर हमने यह पाया कि सरकार के आदेश (फरवरी 2008) में बकरियों की खरीद का प्रावधान नहीं था। जिसके फलस्वरूप शेडों के निर्माण एवं सामग्री पर ₹ 89.00 लाख का व्यय लाभुकों के लिए कोई आमदनी का जरिया नहीं बन सका।

विभाग द्वारा बताया गया कि योजना का मकसद वैसे लाभुकों के लिये था जिनके पास बकरियाँ थी पर आधारभूत संरचना नहीं थी। विभाग का जवाब सही नहीं था क्योंकि स्वीकृति पत्र के अनुसार विभाग को बकरियाँ खरीदकर वितरित करनी थी।

---

[29] जि. प. पदा. दुमका: रू 61.04 लाख और जि. प. पदा. रॉची रू 40.70 लाख।

[30] दुमका: 209 इकाइयों के लिए ₹ 50.07 लाख और रॉची: 147 इकाइयों के लिए ₹ 31.90 लाख।

[31] दुमका: ₹ 6.30 लाख और रॉची ₹ 0.73 लाख।

[32] दुमका: 16 और रॉची:3।

(ब) उन्नत नस्ल की बकरी/बकरा वितरण

बकरी पालन हेतु आवश्यक सामग्री, दवाईयाँ टीका एवं 50 *प्रतिशत्* अनुदान पर तीन साल के लिए बीमा के साथ बकरी वितरण इकाई (पाँच बकरी एवं एक बकरा प्रत्येक इकाई में) विभाग द्वारा स्वीकृत (अगस्त 2011) किया गया। प्रत्येक इकाई का लागत ₹ 22,500 था। इसके अलावे, जि.प.पदा. द्वारा प्रत्येक इकाई के लिए ₹ 800 प्रचार पर व्यय किया जाना था। लाभुकों से यह वचन लिया जाना था कि उनके पास बकरियों के लिए शेड़ है और वे अपना अंशदान बैंक ऋण या बचत के द्वारा अपने बैंक खाते में जमा करेंगे। विभागीय पदाधिकारियों को योजनाओं के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए प्रेरित, सूत्रित एवं सहायता करना था। राज्य में 1,949 इकाईयों की स्थापना विभाग द्वारा स्वीकृत (अगस्त 2011) किया गया एवं ₹ 2.35 करोड़ आबंटित किया गया।

आठ नमूना-जाँचित जिलों में 761 इकाई के लक्ष्य के विरूद्ध 652 इकाई स्थापित किये गये थे। विभाग द्वारा 2011-12 के दौरान आवंटित ₹ 89.81 लाख में से ₹ 84.13 लाख व्यय किये गये। 46 इकाईयों के लिए शेष निधि ₹ 5.68 लाख 2011-12 में अभ्यर्पित किये गये।

नमूना-जाँचित जिलों में पाई गई कमियों की चर्चा नीचे की गई है:

लाभुकों के खाते में बैंक द्वारा ₹ 3.15 लाख अनुदान जमा नहीं किया गया।

- जि.प.पदा. देवघर द्वारा 28 लाभुकों के लिए ₹ 3.15 लाख का अनुदान सिन्डीकेट बैंक को विमुक्त किया गया (मार्च 2012) यह सुनिश्चित किये बिना कि वे बैंक से ऋण प्राप्त करेंगे अथवा नहीं। बैंक द्वारा सिर्फ पाँच योग्य लाभुकों को ऋण स्वीकृत किया गया (अप्रैल एवं मई 2012) लेकिन जून 2012 तक अनुदान जमा नहीं किया गया। इस प्रकार, ₹. 3.15 लाख बैंक में अव्यवहृत पड़े रहे।

  साक्षात्कार (जून 2012) के दौरान पाँच में से चार लाभुकों द्वारा बताया गया कि उन्होने विहित 20 बकरी और चार बकरा के विरूद्ध 14 बकरी एवं एक बकरा का क्रय किया। कम एवं गैर-अनुपातिक संख्या में की गई क्रय उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है।

- धनबाद में 52 में से तीन लाभुकों के साक्षत्कार में उद्घटित हुआ कि उनके पास शेड नहीं थे।

- गुमला में ₹ 13.28 लाख की लागत पर 118 इकाई के निर्माण के विरूद्ध मात्र ₹ 5.85 लाख की लागत पर 52 इकाई स्थापित हुए थे। 66 इकाई के लिए ₹ 7.43 लाख जुलाई 2012 तक बैंकों/डाकघरों में पड़े थे।

- जि.प.पदा. राँची द्वारा स्वीकृति आदेशों (अगस्त 2011) का उल्लंघन करके 211 इकाई के लिए 211 लाभुकों का ₹ 23.74 लाख की अनुदान राशि लाभुकों के बैंक खाते में जमा करने के बजाय बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से उन्हें सीधे भुगतान किया गया। इस प्रकार, राशि के दुरूपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि विभाग सृजित परिसम्पतियों पर नियंत्रण खो सकता है।

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया गया (जनवरी 2013)।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा.कृ.वि.यो.)

राष्ट्रीय विकास परिषद् के संकल्प (मई 2007) के अनुपालन में कृषि मंत्रालय द्वारा राज्य योजना बजट के अतिरिक्त 100 *प्रतिशत्* केन्द्रीय सहायता वाली एक योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू की गई। योजना के अन्तर्गत, स्पष्ट उद्देश्यों एवं सुनिश्चित समय सीमा के साथ विशिष्ट परियोजना चलाये जाने थे जो क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप हो ताकि रा.कृ.वि.यो. के अन्तर्गत विहित उद्देश्यों के बराबर परिणाम हो। उपायुक्त नोडल पदाधिकारी थे और योजना का क्रियान्वयन उनके मार्गदर्शन में होना था। निम्नलिखित तीन योजनाओं के लिए 2008-12 में स्वीकृत ₹ 24.75 करोड़ में से ₹ 21.76 करोड़ व्यय किये गये।

(स) बकरा विकास योजना

राज्य सरकार द्वारा 2008-10 के दौरान 1,143 इकाईयों के वितरण के लिए ₹ 4.06 करोड़ स्वीकृत (फरवरी और अक्टूबर 2009 के बीच) किया गया जिनमें से ₹ 3.96 करोड़ व्यय के बाद 1,054 इकाई स्थापित किये गये। योजनाओं का विवरण **तालिका-3** में दिया गया है।

तालिका-3: बकरा विकास योजना के अन्तर्गत प्रावधान का विस्तृत विवरण

वर्ष	योजना	इकाई-लागत (₹)	अनुदान (₹)		लाभुक अंशदान (₹)		वार्षिक आय सृजन (₹)
			अ.जा./अ.ज.जा.	अन्य	अ.जा./अ.ज.जा.	अन्य	
2008-09 (सभी जिलों के लिए)	एक बकरा इकाई (10 मादा ब्लैक बंगाल नस्ल का एवं एक उन्नत नस्ल का नर)	60000[33]	54000	51000	6000	9000	आकलन नहीं किया गया

[33] परिवहन सहित बकरा क्रय: ₹26,000, बीमा: ₹ 1,600, बाड़ा निर्माण (150 वर्ग फीट) : ₹ 30,000, बर्तन एवं अन्य सामग्री का क्रय: ₹1,200, दवाई और टीका : ₹ 700 और अनुश्रवण एवं साइनबोर्ड : 500।

2009-10 (नमूना-जाँचित देवघर एवं दुमका सहित 11 जिले)	एक बकरा इकाई (देशी नस्ल के 10 मादा एवं ब्लैक बंगाल नस्ल का एक नर)	18000[34]	9000	7200	9000	10800	18600

स्रोत: पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग

2008-09 के दौरान राज्य में 687 इकाईयों के लक्ष्य के अंतर्गत नमूना-जाँचित जिलों में 251 इकाईयाँ स्थापित किये जाने थे। इसके विरूद्ध 243 इकाईयाँ (97 *प्रतिशत*) ₹ 1.31 करोड़ की लागत से नमूना-जाँचित जिलों में स्थापित किये गये। 2009-10 के दौरान दुमका में 45 इकाई के लक्ष्य के विरूद्ध ₹ 3.91 लाख की लागत पर 43 इकाईयाँ (96 *प्रतिशत*) स्थापित किये गये। देवघर में 40 इकाई के लक्ष्य के विरूद्ध एक भी इकाई स्थापित नहीं की गयी जिसके लिए कोई कारण अभिलेखित नहीं था और ₹ 3.68 लाख का आवंटन अभ्यर्पित कर दिया गया।

निम्नलिखित कमियाँ पाई गई:-

- फरवरी और अक्टूबर 2009 के राज्यादेशों में यह विहित नहीं था कि बकरी का क्रय, सामग्री, बीमा और शेड निर्माण की व्यवस्था, लाभुक या विभाग, किसे करना था। हमने पाया कि नमूना-जाँचित जिले में जि.प.पदा. द्वारा सीधे लाभुकों को राशि अग्रिम में दी गई। उनके पास शेड निर्माण से संबंधित कोई सूचना नहीं थी क्योंकि योजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण नहीं किया गया था। इस प्रकार योजना की राशि के दुरूपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता।

- चार नमूना-जाँचित जिला[35] में 126 लाभुकों (2008-09) में से 27 के साथ साक्षात्कार में उद्घाटित हुआ कि विभिन्न बीमारियों के कारण 297 में से 156 बकरियाँ मर गई थी। जि.प.पदा. दुमका ने बताया (जुलाई 2012) कि शव परीक्षण एवं बीमा के पुनर्नवीकरण के अभाव में इन बकरियों के बीमा का दावा पेश नहीं किया जा सका।

- दुमका में 43 (2009-10) में से सात लाभुकों के साक्षात्कार में उद्घाटित हुआ कि वे 70 बकरी और सात बकरा के विरूद्ध मात्र 28 बकरी क्रय किये थे जबकि पूरा अनुदान राशि ₹ 63,000 का भुगतान उन्हें किया जा चुका था। जि.प.पदा. के अभिलेखों में यद्यपि 77 बकरियों का क्रय दिखाया गया था। इस प्रकार, 49 बकरियों के संदेहपूर्ण क्रय से इनकार नहीं किया जा

---

[34] परिवहन सहित बकरा क्रय: ₹ 15,000, बीमा: ₹ 1,100, बतर्न एवं अन्य सामग्री का क्रय: ₹ 1,200 तथा दवाई और टीका : ₹ 700।

[35] बोकारो, दुमका पूर्वी सिंहभूम और लातेहार ।

सकता। उपर्युक्त स्थिति जि.प.पदा. द्वारा अनुश्रवण की कमी को इंगित करता है। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया गया (जनवरी 2013)।

4.1.9.2 कुक्कुट विकास योजना (कु.वि.यो.)

रा.कृ.वि.यो. के अधीन वर्ष 2008-09 के दौरान विभाग ने बैकयार्ड कुक्कुट की स्वीकृत 4,793 (60 चूजे की एक इकाई) इकाईयों के विरूद्ध 4,775 इकाईयाँ स्थापित की। नमूना-जाँचित जिलों में 2010-12 के दौरान 1,010 इकाईयों की स्थापना के लक्ष्य (2010-11: 250 एवं 2011-12: 760) (400 ब्रायलर चूजे प्रति इकाई) के विरूद्ध 948 ईकाईयों (2010-11: 238 तथा 2011-12: 710) की स्थापना चयनित जिलों[36] में की गई।

(अ) बैकयार्ड कुक्कुट (साठ चूजे की योजना)

सरकार के राज्यादेश (फरवरी 2009), जो वर्ष 2008-09 के लिए निर्गत था, के अनुसार प्रत्येक कुक्कुट इकाई की लागत ₹ 8,000 थी। इसमें से, सहायक निदेशकों (एडी), क्षेत्रीय/राज्य कुक्कुट प्रक्षेत्र, बोकारो एवं राँची को जि.प.पदा. को चूजों की आपूर्ति हेतु ₹ 1,800 प्रति इकाई की दर से निधि का आवंटन प्राप्त था तथा अवशेष लागत राशि ₹ 6,200 प्रति इकाई की दर से योजना के कार्यान्वयन के लिए जि.प.पदा. को आवंटित किया गया। योजना लागू होने के प्रथम वर्ष में प्रति इकाई ₹ 17,000 तथा ₹ 16,600 का निवल लाभ क्रमश: अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य के लिए जो कि उन्हें दिये गये अनुदान[37] पर निर्भर था, का अनुमान विभाग ने लगाया।

लातेहार छोड़कर शेष सात चयनित जाँचित जिलों में लक्षित 1,585 कुक्कुट इकाईयों के विरूद्ध 1,547 कुक्कुट इकाईयाँ स्थापित किये गये

नमूना-जाँचित जि.प.पदा. द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनाओं तथा अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि विभाग ने राज्य में 4,793 इकाईयों को लागू करने के लिए ₹ 3.40 करोड़ आवंटित (फरवरी 2009) किया था। आठ नमूना-जाँचित जिलों में 1,785 इकाईयों हेतु चूजे आपूर्ति करने के लिए दो ए. डी.[38] को ₹ 32.13 लाख आवंटित था (फरवरी 2009)। इसमें से स्थापित 1,547[39] इकाईयों (लक्ष्य 1,585 इकाई) हेतु, लातेहार छोड़कर शेष सात नमूना-जाँचित जिलों में ए. डी. ने चूजों की आपूर्ति की।

---

[36] 2010-11 के दौरान पाँच और 2011-12 में 21 जिलों।

[37] अ. जा./अ. ज. जा.: 90 *प्रतिशत* और अन्य : 85 *प्रतिशत*।

[38] क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, राँची: 885 इकाईयों के लिए ₹ 15.93 लाख और राज्य कुक्कुट प्रक्षेत्र, बोकारो : 900 इकाईयों के लिए ₹ 16.20 लाख।

[39] राँची: 657 इकाईयाँ (₹ 12.39 लाख) तथा बोकारों: 890 इकाईयाँ (₹ 15.27 लाख)

लातेहार में लाभुकों का चयन समय से नहीं होने के कारण योजना लागू नहीं हो सकी जबकि इसके लिए 200 इकाईयों का लक्ष्य था।

पुनश्च, चयनित लाभुकों के बीच वितरण के लिए सामग्रियों यथा; कुक्कुट गृह का निर्माण हेतु, बाँस, तार आदि तथा खाद्य पदार्थ, दवाईयाँ आदि की खरीद हेतु आठ नमूना-जाँचित जिलों के जि.प.पदा. को ₹ 94.12 लाख का आवंटन (फरवरी 2009) प्राप्त था। जि.प.पदा. ने उक्त मद में ₹ 93.89 लाख का व्यय किया तथा लाभुकों के बीच सामग्रियों का वितरण किया

52 लाभुकों के सभी चूजे बीमारी से मर गये थे। यह जि.प.पदा. के जानकारी में नहीं था

विभागीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में 1,306 (राँची छोड़कर) लाभुकों में से 61 से हुए साक्षात्कार (मई एवं जुलाई 2012) के दौरान प्रकट हुआ कि 52 लाभुकों के सभी चूजे बीमारी से मर गये थे। हालाँकि यह जि.प.पदा. के जानकारी में नहीं था जैसा कि जि.प.पदा.(बोकारो, पूर्वी सिंहभूम एवं गुमला) ने बताया (जून एवं जुलाई 2012)। उक्त में से शेष नौ में पूर्वी सिंहभूम के दो लाभुकों ने बताया (जुलाई 2012) कि उन्होंने अनुमानित आय से अधिक का अर्जन (₹ 24,000 तथा ₹ 50,000) किया जबकि सात ने अनुमानित आय से कम (₹ 100 से ₹ 10,000 के बीच) अर्जित किया।

लाभुकों के विलम्बित चयन के कारण लातेहार में चूजे की आपूर्ति नहीं की गयी। परन्तु, जि.प.पदा. ने कुक्कुट सामग्रियों का वितरण कर दिया। लातेहार में 16 लाभुकों से साक्षत्कार में पता चला कि कुक्कुट खाद्य पदार्थ (₹ 1.37 लाख), बाँस-तार की जाली आदि (₹ 4.73 लाख) जो उन्हें वितरित की गई थी, बरबाद हो गये थे। उनकी ताकत समाप्त हो गई थी तथा समय के बितने के साथ-साथ ₹ 1.30 लाख मूल्य की दवाईयाँ कालातीत हो गई थी। इस प्रकार ₹ 7.40 लाख का व्यय निष्फल साबित हुआ।

अत: योजना के लागू करने में उचित व्यवस्था तथा अनुश्रवण का अभाव था।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2013)।

(ब) कुक्कुट पालन इकाईयों (प्रति इकाई 400 ब्रायलर चूजे) की स्थापना

राज्य में वर्ष 2010-12 के लिए विभाग ने कुक्कुट विकास योजना (400 ब्रायलर प्रति इकाई) के अन्तर्गत 1,010 इकाईयों (दिसम्बर 2010; 250 इकाईयाँ तथा जुलाई 2011; 760 इकाईयाँ) की स्वीकृति दी। कुल अनुमानित राशि ₹ 86,000[40] प्रति इकाई में से 50 *प्रतिशत्* सरकारी अनुदान था तथा शेष लागत राशि की व्यवस्था प्रस्तावित लाभुकों द्वारा बैंक ऋण से किया जाना था। विभाग

[40] चूजे, खाद्य सामग्री, दवाईयॉ: ₹ 32,000; शेड की लागत: ₹ 47,600 तथा कुक्कुट उपकरण: ₹ 6,400 ।

ने प्रतिवर्ष सात चक्रों में ₹ 42,700 प्रति इकाई की दर से आय का अनुमान लगाया।

चयनित जिलों में 370 कुक्कुट इकाईयों के लक्ष्य के विरूद्ध 232 इकाईयाँ स्थापित की गई

राज्य के 948 लाभुकों के 948 इकाईयों पर कुल आवंटित राशि ₹ 4.35 करोड़ (दिसम्बर 2010 एवं जुलाई 2011) में से ₹ 4.06 करोड़ व्यय किये गये। सात[41] नमूना-जाँचित जिलों के जि.प.पदा. को 370 इकाईयों के लिए ₹ 1.59 करोड़[42] आवंटित था। जि.प.पदा. ने 321 इकाईयों के लिए ₹ 1.38 करोड़ की निकासी दिसम्बर 2012 तक किया था एवं ₹ 0.21 करोड़ प्रत्यार्पित कर दिया। यद्यपि, उसमें से ₹ 1.06 करोड़ का अनुदान 248 इकाईयों के लिए निर्गत किया गया तथा 73[43] इकाईयों की ₹ 0.32 करोड़ का अनुदान उनके बैंक खाते में जुलाई 2012 तक रखे हुए थे। जनवरी 2013 तक 232 इकाईयों स्थापित की गई तथा देवघर में 16 इकाईयों की स्थापना, बैंक ऋण स्वीकृत नहीं होने के कारण, नहीं हो सकी।

योजना के लागू किये जाने में हमने निम्नांकित त्रुटियाँ पाई:

- बोकारो के 30 लाभुकों में से चार को मात्र ₹ 0.63 लाख का अनुदान (₹ 13,000 से ₹ 20,000 के बीच) दिया गया जबकि अनुमान्य राशि ₹ 1.72 लाख (₹ 43,000 प्रति लाभुक) थी। भुगतान किया गया अनुदान वांछित लाभ के लिए पर्याप्त नहीं था।
- चार[44] नमूना-जाँचित जिलों के 136 लाभुकों में से 15[45] के साक्षात्कार के दौरान पता चला कि बोकारो तथा धनबाद में चूजे का उत्पादन प्रगति में था तथा लातेहार में कुक्कुट गृह निर्माणाधीन था। देवघर में चार लाभुकों ने बताया कि उन्हें बैंक से न तो ऋण और न ही अनुदान राशि प्राप्त हुई।

अत: नमूना-जाँचित जिलों में योजना की प्रगति समरूप नहीं थी तथा बैंक द्वारा निधि का ससमय निर्गत करने हेतु किये गये कार्रवाई का उचित अनुश्रवण न तो विभाग और न ही जि.प.पदा. द्वारा किया गया। फलस्वरूप योजना के अन्तर्गत वाँछित लाभ प्राप्त नहीं हो सका।

---

41 बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार तथा राँची। गुमला के लिए कोई योजना नहीं थी।

42 2010-11: ₹ 43.40 लाख और 2011-12: ₹ 116.10 लाख।

43 बोकारो: ₹ 1.09 लाख, दुमका: ₹ 2.58 लाख,पूर्वी सिंहभूम: ₹ 7.31 लाख वर्ष 2010-11 में तथा ₹ 20.21 लाख वर्ष 2011-12 में एवं लातेहार: ₹ 1.29 लाख।

44 बोकारो, देवघर, धनबाद तथा लातेहार।

45 बोकारो: दो, धनबाद: छ:, देवघर: चार तथा लातेहार: तीन।

विभाग ने लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार (जनवरी 2013) किया तथा कहा कि सम्बधित जिलों का उचित अनुश्रवण किया जायगा।

4.1.9.3 सूकर विकास योजना (प्रजनन इकाई)

रा.कृ.वि. योजना के अधीन सरकार ने वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लिए राज्य के 14[46] जिलों में सूकर विकास योजना लागू करने की स्वीकृति दी। वर्ष 2011-12 में सरकार ने इसे 24 जिलों तक विस्तारित किया। योजना के अन्तर्गत चयनित लाभुकों के बीच सूकर प्रजनन इकाई[47] के लिए उन्नत नस्ल के सूकरों का वितरण करना था। राज्यादेश में विहित मार्ग दर्शन के अनुसार, बैंक से ऋण राशि या लाभुकों द्वारा स्वयं का अंशदान की राशि उनके खाते में जमा होना सुनिश्चित होने के बाद अनुदान की राशि लाभुकों के खाते में स्थानान्तरित किया जाना था। सूकरों को बिमित किया जाना था जिसके लिए इकाई के लागत राशि में ही निधि सम्मिलित थी। विभागीय पदाधिकारी को प्रोत्साहक के रूप में कार्य करना था और उनके द्वारा तकनीकी जानकारी, प्रशिक्षण, अनुश्रवण तथा गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित किया जाना था। योजनाओं का विवरण **तालिका-4** में दिया गया है:-

तालिका-4: सूकर विकास योजना में प्रावधानों को दर्शाने वाली सारणी

वर्ष	योजना	इकाई लागत (₹)	अनुदान (₹)		लाभुक अंशदान / बैंक ऋण (₹)		प्रति इकाई अनुमानित औसत वार्षिक आय (₹)
			अ.जा./अ.ज.जा.	अन्य	अ.जा./अ.ज.जा.	अन्य	
2009-10	छः सूकर (चार मादा और दो नर)	30000	15000	12000	15000	18000	23000
2010-11	छः सूकर (चार मादा और दो नर)	40000	13200	13200	26800	26800	26900
	13 सूकर (आठ मादा और पॉच नर)	71000	23430	23430	47570	47570	66000
	प्रति इकाई तीन सूकर-शेडों का निमार्ण	40000	13200	13200	26800	26800	--
2011-12	छः सूकर (चार मादा और दो नर)	27500	13750	13750	13750	13750	20 शवक

स्रोत :- पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग

जि.प.पदा. द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएं तथा अभिलेखों की जाँच के दौरान निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:

[46] इसमें से छः जिले यथा बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, लातेहार एवं राँची, वर्ष 2009-11 के दौरान शामिल थे।

[47] प्रत्येक इकाई में दो नर तथा चार मादा सूकरें।

चयनित जिलों में 1,241 के लक्ष्य के विरूद्ध 1,102 इकाईयॉ (89 *प्रतिशत*) स्थापित की गई

- वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान नमूना-जाँचित जिलों में 1,241 इकाईयों[48] के लक्ष्य के विरूद्ध 1,102 इकाईयों[49] की उपलब्धि रही। वर्ष 2010-11 के दौरान जि.प.पदा. लातेहार योजना को लागू करने में असफल रहे और ₹ 18.42 लाख की आवंटित राशि का प्रत्यार्पण किया गया।
- पूर्वी सिंहभूम एवं धनबाद में वर्ष 2009-12 के दौरान प्रशिक्षण, अनुक्षवण प्रसार तथा योजना के प्रति जागरूकता लाने के लिए निधि की उपलब्धता (धनबाद ₹ 1.17 लाख, तथा पूर्वी सिंहभूम ₹ 1.25 लाख) के बावजूद इन पर व्यय नहीं किये गये ओर निधि प्रत्यार्पित कर दी गई।
- वर्ष 2009-10 के दौरान ₹ 20.03 लाख (गुमला: ₹ 11.03 लाख एवं पूर्वी सिंहभूम: ₹ 9.00 लाख) का समस्त अनुदान 139 (गुमला 75, एवं पूर्वी सिंहभूम: 64) चयनित लाभुको के खाते में स्थानान्तरित (अप्रैल एवं जुलाई 2010 के बीच) कर दिया गया। गुमला के 75 में से पाँच लाभुकों का अनुदान कोषागार में जमा कर दिया गया क्योकि उन्होंने इच्छुक नहीं होंने के कारण योजना में शामिल होने से इनकार कर दिया। पूर्वी सिंहभूम में बैंक द्वारा ऋण की स्वीकृति नहीं हाने के कारण चार लाभुक सूकर का क्रय नहीं कर सके।
- किसी भी नमूना-जाँचित जिलों में योजना के अधीन कोई भी सूकर बीमित नहीं पाया गया जिसे जि.प.पदा. द्वारा स्वीकार किया गया। पाँच नमूना-जाँचित जिलों में योजना (2009-12) के 1,102 लाभुकों में से 38 से साक्षात्कार के क्रम में पाया गया कि 17 लाभुकों के 46 सूकर (मूल्य ₹ 0.67 लाख) मर गये थे और लाभुक बीमा का लाभ नहीं ले सके क्योंकि सूकरें बीमित नहीं थी।

लाभुकों के द्वारा नर एवं मादा सूकरों का गैर-अनुपातिक क्रय किया गया

- हमने पाया कि चार नमूना-जाँचित जिलों के 21 इकाईयों[50] के लिए जि. प.पदा. ने 42 नर और 84 मादा सूकर की आवश्यकता के विरूद्व 28 नर, 90 मादा तथा चार नपुंसक सूकर का क्रय किया। अत: कम संख्या में सूकरों का क्रय योजना के उदेश्य (लाभुकों का अनुमानित आमदनी) को प्रभावित करेगा।
- पूर्वी सिंहभूम और गुमला जिलों के 134 में से नौ लाभुकों से साक्षात्कार में प्रकट हुआ कि 2009-10 की योजना के सात लाभुकों ने औसत वार्षिक प्रक्षेपित लाभ से कम आमदनी (₹ 3,000 से ₹ 20,000) अर्जित की, दो

---

[48] 2009-10 : 380 इकाईयाँ, 2010-11 :433 इकाईयाँ एवं 2011-12: 428 इकाईयाँ।

[49] 2009-10: 344 इकाईयाँ, 2010-11 :368 इकाईयाँ एवं 2011-12: 390 इकाईयाँ।

[50] पूर्वी सिंहभूम: दो, गुमला: चार, बोकारो- दो तथा राँची:13।

लाभुको ने अधिक आमदनी (₹ 50,000) जुलाई 2012 तक अर्जित की। धनबाद के 11 लाभुकों के साक्षात्कार में प्रकट हुआ कि वर्ष 2010-11 में सूकरों के लिए शेडों का निर्माण नहीं किया गया था, एक लाभुक ने सूकरों का क्रय नहीं किया जबकि एक अन्य लाभुक द्वारा कम संख्या में सूकरों का क्रय किया गया।

विभाग द्वारा बताया गया कि सम्बन्धित जिलों में उचित अनुश्रवण किया जायगा तथा आवश्यक कारवाई की जायगी।

अन्य योजनाएं

4.1.9.4 पशुरोग नियंत्रण हेतु राज्य को सहायता (ए.एस.सी.ए.डी.)

पशुरोग नियंत्रण हेतु राज्य को सहायता (ए.एस.सी.ए.डी.) एक केन्द्र प्रायोजित योजना का लक्ष्य संक्रामक रोगों यथा सूकर ज्वर, खुरहा चपका[51] एवं अन्य पशुरोगों का नियंत्रण था। सिवाय प्रशिक्षण अवयव के जो शत् प्रतिशत् भारत सरकार द्वारा निधित थी, यह योजना केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में निधित थी। भारत सरकार ने ए.एस.सी.ए.डी. परियोजनाओं के लिए वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक के लिए ₹ 16.53 करोड़ (राज्यांश ₹ 3.85 करोड़ सहित) की स्वीकृति प्रदान की थी। फिर भी भारत सरकार ने केन्द्रांश ₹ 12.68 करोड़ में से ₹ 8.14 करोड़ ही निर्गत की थी। केन्द्रांश की राशि कम उपयोग किये जाने के कारण कम राशि निर्गत की गई थी। योजना के अधीन पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग को टीके का उत्पादन अपने टीका उत्पादन संस्थान से या इसकी आपूर्ति किसी अन्य फर्म से करनी थी। वर्ष 2007-12 की अवधि में विभाग ने ₹ 5.95 करोड़ (केन्द्रांश: ₹ 4.49 करोड़ तथा राज्यांश: ₹ 1.46 करोड़) का उपयोग किया। कम उपयोग का कारण राज्य के उत्पादन संस्थान में टीके का कम उत्पादन तथा अन्य फर्म से कम आपूर्ति योजना के अन्तर्गत लिया जाना था। यह भी टीका करण की उपलब्धि को प्रभावित किया जैसा कि **तालिका-5** में चर्चित है।

तालिका-:5 टीकाकरण के लक्ष्य एवं उपलब्धि को दर्शाने वाली विवरणी

वर्ष	खुरहा चपका (एफ. एम डी.)		बकरी प्लेग (पी.पी.आर)		लँगड़ा ज्वर (बी. क्यू.)		गलघोंटू (एच.एस.)		सूकर ज्वर (स्वाइन फीवर)		रानीखेत बीमारी	
	लक्ष्य	उपलब्धि.	लक्ष्य	उपलब्धि.	लक्ष्य	उपलब्धि.	लक्ष्य	उपलब्धि.	लक्ष्य	उपलब्धि.	लक्ष्य	उपलब्धि.
2007-08	2	0.89	3	0	10	3.19	10	4.37	0.50	0.05	5	0
2008-09	2	0.11	3	0	10	8.79	10	9.21	0.50	0.05	0	0
2009-10	2	0.77	3	1.00	10	6.54	10	5.09	0.50	0.01	5	1.39
2010-11	2	0.29	3	1.47	10	4.64	10	7.64	0.50	0	5	0.54
2011-12	5	10.00	10	0.05	10	6.59	15	6.51	0.50	0	5	1.00
कुल	**13**	**12.06**	**22**	**2.52**	**50**	**29.75**	**55**	**32.82**	**2.50**	**0.11**	**20**	**2.93**

स्रोत: पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग

[51] फुट एण्ड माउथ डिजीज।

टीकाकरण में उपलब्धि कम रही

- वर्ष 2007-12 की अवधि में टीकाकरण के लक्ष्य के विरूद्व खुरहा चपका में सात *प्रतिशत्*, बकरी प्लेग में 89 *प्रतिशत्* लँगड़ा ज्वर और गलघोंटू में 40 *प्रतिशत्*, सूकर ज्वर में 96 *प्रतिशत्* तथा रानीखेत में 88 *प्रतिशत्* की कम उपलब्धि रही।
- जि.प.पदा. बोकारो तथा गुमला मे टीकाकरण के लक्ष्य के विरूद्व कम उपलब्धि का कारण पशु स्वा. एवं उ.सं. द्वारा टीके का कम तथा विलंबित आपूर्ति किया जाना बताया गया (जून एवं जुलाई 2012)। जि.प.पदा. दुमका एवं धनबाद मे लक्षित पशुओं का टीकाकरण नहीं किये जाने का कारण तकनीकी कर्मचारी तथा पारा पशुचिकित्सक (पारा-भेट) का कमी बताया गया (जून तथा जुलाई 2012) चार[52] जि.प.पदा. ने कोई उत्तर नहीं दिया (अगस्त 2012)।

अत: निधि[53] की उपलब्धता के बावजूद टीके के अभाव में पशुओं को संक्रामक रोग होने के जोखिम में रखा गया। पशु.स्वा. एवं उ. सं. के आधार भूत संरचना को सुदृढ़ करने तथा संस्थान द्वारा टीके के उत्पादन/आपूर्ति प्राप्त करने का अनुश्रवण में विभाग असफल रहा।

संस्थान में सभी प्रकार के टीके के नहीं बनने, अपर्याप्त मात्रा में निजी संस्थान/अन्य प्रदेशों के संस्थानों से आपूर्ति प्राप्त करने तथा पारा-पशु चिकित्सकों (पारा-भेट) की कमी के कारण को विभाग ने स्वीकारा (जनवरी 2013)। उत्तर पूर्णतया सही नहीं थे क्योंकि एस्काड के लिए योजना बनाने तथा अन्य फर्मों से टीके के क्रय में दर की स्वीकृति विलम्बितथी।

4.1.9.5 पशु स्वास्थ्य सावधानी एवम् पशुचिकित्सा सेवाएं

विभाग ने राज्य में पशुओं के रोगों के नियंत्रण तथा स्वास्थ आच्छादान हेतु टीकाकरण, चिकित्सा एवं बन्ध्याकरण के लिए लक्ष्य निर्धारित किया। परन्तु, जिलों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारत नहीं थे। वर्ष 2007-08 से 2011-12 अवधि के लक्ष्य एवं उपलब्धि की विवरणी निम्नांकित **तालिका-6** में है।

---

[52] देवघर, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार तथा राँची

[53] वर्ष 2007-12 के दौरान पुनर्जीवित तथा विमुक्त: ₹ 8.14 करोड़, उपयोगित: ₹ 4.49 करोड़ (55.13 *प्रतिशत्*)।

तालिका 6: टीकाकरण, चिकित्सा, बन्ध्याकरण तथा कृत्रिम गर्भाधान

(संख्या लाख में)

	टीकाकरण			चिकित्सा			बन्ध्याकरण			कृत्रिम गर्भाधान		
वर्ष	राज्य स्तरीय लक्ष्य	राज्य स्तरीय उपलब्धि	आठ नमूना जाँचित जिलों में उपलब्धि	राज्य स्तरीय लक्ष्य	राज्य स्तरीय उपलब्धि	आठ नमूना जाँचित जिलों में उपलब्धि	राज्य स्तरीय लक्ष्य	राज्य स्तरीय उपलब्धि	आठ नमूना जाँचित जिलों में उपलब्धि	राज्य स्तरीय लक्ष्य	राज्य स्तरीय उपलब्धि	आठ नमूना जाँचित जिलों में उपलब्धि
2007-08	अप्रस्तुत	अनुपलब्ध	2.69	अप्रस्तुत	अनुपलब्ध	4.56	अप्रस्तुत	अनुपलब्ध	0.36	1.51	0.57 (38)	0.26
2008-09	8.81	10.81 (123)	4.14	6.65	10.59 (159)	4.56	0.45	0.87 (193)	0.42	1.51	0.51(34)	0.25
2009-10	30.00	15.38 (51)	3.40	12.00	15.26 (127)	6.09	0.55	1.03 (187)	0.39	1.56	00	0.01
2010-11	30.00	20.22 (67)	7.00	15.00	15.32 (102)	6.87	0.90	1.12 (124)	0.45	1.56	0.42 (28)	0.22
2011-12	अप्रस्तुत	अप्रस्तुत	7.20	20.00	14.14 (71)	6.94	0.90	0.76 (84)	0.36	1.56	0.84 (54)	0.41

स्रोत: पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग.। कोष्टक में दिये गए अंक प्रतिशत् को इंगित करता है।

तालिका-6 से स्पष्ट है कि वर्ष 2008-12 के दौरान राज्य में टीकाकरण की उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 51 और 123 *प्रतिशत्* के बीच था। सिवाय 2009-10 के, वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान कृत्रिम गर्भाधान की उपलब्धि 28 से 54 *प्रतिशत्* के बीच रही।

वर्ष 2008-11 के दौरान टीकाकरण लक्ष्य के 51 से 123 *प्रतिशत्* रही

फ्रोजेन सीमेन बैंक, होटवार, राँची द्वारा तरल नाइट्रोजन तथा स्ट्रॉ की आपूर्ति सरकारी अस्पतालों में नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2009-10 में उपलब्धि नगण्य रही। सरकारी अस्पतालों के निकट क्षेत्र में भारतीय एग्रो इण्डस्ट्रीज फेडरेशन (बायफ) द्वारा डेयरी कैटल डेवलपमेंट सेन्टर (डी.सी.डी.सी.) का खुलना, जि.प.पदा. द्वारा कृत्रिम गर्भाधान में कम निस्तारण का कारण बताया गया। एम ओ यू के अनुसार दोहरीकरण से बचने के लिए डी.सी.डी.सी. को सरकारी अस्पतालों से कम से कम पाँच किलोमीटर की दूरी पर खोला जाना था। यह दोनों निदेशालयों के बीच समन्वय के अभाव को इंगित करता है।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को अंकित किया (जनवरी 2013)

गव्य निदेशालय

4.1.9.6 दुधारू पशु वितरण कार्यक्रम

दूधारू पशु वितरण कार्यक्रम रा.कृ.वि.यो. के अन्तर्गत राज्य कार्यक्रम में 2008-09 से लिया गया था। ग्रामीण परिवारों को लाभपूर्ण स्वरोजगार प्रदान करने और राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्च उत्पादन क्षमता वाले दुधारू पशु के वितरण हेतु अनुदान दिया जाना था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान और बैंक ऋण के माध्यम से प्रोटो टाईप,

योजनाएं[54] चलाई गई। इस उद्देश्य हेतु प्रस्तावित लाभुकों के लिए ऋण की स्वीकृति के लिए जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा तैयार एवं उपायुक्त द्वारा अनुमोदित लाभुकों की सूची को विभिन्न बैंकों को भेजा जाना था। बैंकों से विमुक्त अनुदान लाभुकों के खातें में बैंक ऋण जमा होने के पश्चात स्थानान्तरित किए जाने थे। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत परियोजना लागत ***परिशिष्ट 4.6*** में दिया गया है।

झारखण्ड सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रकार की डेयरी इकाई के लिए पशुओं का क्रय छः महिने के अंतराल पर दो चरणों[55] में किया जाना था, जिसका उद्देश्य पूरे वर्ष के दौरान दुग्ध की उपलब्धता कायम रखना था और जो किसानों के लिए बैंक ऋण के किस्तों का भुगतान करने में सहायक था।

2007-08 के दौरान योजना राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित थी जबकि 2008-09 से रा.कृ.वि.यो. के अन्तर्गत पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा प्रायोजित थी। 2007-12 के दौरान ₹ 56.45 करोड़ की स्वीकृत राशि के विरूद्ध कुल ₹ 53.66 करोड़ का व्यय हुआ। आठ नमूना-जाँचित जिलों में कुल ₹ 29.08 करोड़ के आबंटन के विरूद्ध ₹ 27.81 करोड़ व्यय हुआ।

अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित उद्घटित हुए:

दोनों चरणों में गायों की खरीद नहीं होने के कारण 3,670 इकाईयों के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 2,611 दुग्ध इकाईयाँ हीं स्थापित की गई

वर्ष 2007-11[56] के दौरान नमूना-जाँचित जिलों में कुल लक्षित 3,670 इकाईयों के विरूद्ध दूधारू पशु वितरण कार्यक्रम में प्रथम चरण में कुल 3,338 इकाईयों (91 प्रतिशत) के लिए गायों की आपूर्ति की गई थी। तथापि मात्र 2,611 इकाईयों (प्रथम चरण में क्रय की गई इकाईयों का 78 *प्रतिशत*) के लिए व्दितीय चरण की गायें आपूर्ति की गयी (***परिशिष्ट-4.7***)। प्रथम चरण में कम उपलब्धि (332 इकाई) के लिए जि.ग.वि.पदा. द्वारा बैंकों द्वारा ऋण की स्वीकृति नहीं किया जाना और लाभुकों की ईच्छा में कमी बताया गया। लाभुकों द्वारा ऋण की खराब पुनर्भुगतान के कारण बैंकों द्वारा ऋण वितरित नहीं किया जाना द्वितीय चरण में कम उपलब्धि के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।

---

[54] दो गाय/भैंस, पाँच गाय/भैंस (मिनी डेयरी), दस गाय/भैंस (मिडी डेयरी), 20 गाय/भैंस (कामर्शियल डेयरी), 50 गाय/भैंस (मोडर्न डेयरी) और 100 गाय/भैंस (मोडर्न डेयरी)

[55] दो गाय इकाई - प्रत्येक चरण में एक गाय, पाँच गाय की मिनी डेयरी- पहले चरण में तीन गाय एवं दूसरे चरण में दो गाय, दस गाय की मिनी डेयरी- प्रत्येक चरण में पाँच गाय, बीस गाय की कामर्शियल डेयरी- प्रत्येक चरण में दस गाय, मोडर्न डेयरी (50 गायें) - प्रत्येक चरण में 25 गायें और मोडर्न डेयरी (100 गायें) - प्रत्येक चरण में 50 गायें।

[56] जुलाई 2012 तक 2011-12 के लिए गायों का क्रय नहीं किया गया था जबकि जि.ग.वि.प. दुमका और देवघर द्वारा 2007-08 के लिए सूचना नहीं दी गई।

विभाग द्वारा बताया गया कि लंबित क्रय में गति लाने के लिए जिलावार पशु मेला आयोजित किया जा रहा था एवं बैंकों द्वारा ऋण वितरण से संबंधित मामलों के निपटारा हेतु जि.ग.वि.पदा. को निर्देश निर्गत किये जा रहे थे।

- आगे, विभाग के कार्यकारी निर्देश के अनुसार सरकारी दुग्ध शीतक केन्द्र में दूध आपूर्ति हेतु किसानों को प्रोत्साहित किया जाना था ताकि उन्हें दूध बिक्री हेतु पर्याप्त बाजार सुविधा से लाभान्वित किया जा सके। तथापि, आठ नमूना-जाँचित जिलों में से सिर्फ चार[57] जिलों में दुग्ध शीतक सयंत्र कार्यरत थे। इसके अलावे, ये दुग्ध शीतक संयंत्र मुख्यत: आधारभूत संरचना एवं कच्चे दूध की कमी के कारण अपनी क्षमता[58] के विरूद्ध आंशिक क्षमता[59] के साथ चल रहे थे। अत: दूध बिक्री हेतु किसानो को उचित बाजार सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जा सका जिसके फलस्वरूप लोगों को गुणवतापूर्ण दूध आपूर्ति नहीं किया गया।

विभाग द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2012) कि ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त दूध की मूल्य संरचना की जाँच की जायेगी।

- कुल 3,338 में से 94 लाभुकों के साक्षात्कार में उद्घटित हुआ कि 35 लाभुकों (37 *प्रतिशत*) द्वारा अनुमानित वार्षिक औसत आय से ज्यादा अर्जित किया जा रहा था और 34 (36 *प्रतिशत*) लाभुकों द्वारा अनुमानित वार्षिक औसत आय[60] से कम अर्जित किया जा रहा था जबकि 15 लाभुकों (16 *प्रतिशत*) द्वारा कुछ भी अर्जित नहीं किया जा रहा था एवं दस लाभुकों ने कोई जवाब नहीं दिये।

विभाग द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2012) कि योजनाओं के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए इच्छा अभिव्यक्ति हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे। तदनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

4.1.9.7 बछिया पालन कार्यक्रम

नस्ल सुधार एवं दुधारू पशु वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत पैदा हुए बछियों को सहारा देना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था ताकि उन्हें जल्दी वयस्क बनाकर लम्बी

---

[57] धनबाद, देवघर, लातेहार एवं राँची।

[58] पूर्ण क्षमता- धनबाद- 5,000 लीटर प्रतिदिन, देवघर-10,000 लीटर प्रतिदिन, लातेहार- 2,000 लीटर प्रतिदिन और राँची - 20,000 लीटर प्रतिदिन।

[59] धनबाद- 1,600 लीटर प्रतिदिन, देवघर- 800 लीटर प्रतिदिन, लातेहार- 630 लीटर प्रतिदिन एवं राँची- सूचना उपलब्ध नहीं।

[60] दो गाय इकाई-₹ 35,830, मिनी डेयरी: ₹ 91,114, मिडी डेयरी- ₹ 1,62,850 एवं कामर्शियल डेयरी- ₹ 3,38,200।

दुधारू जीवन प्रदान किया जा सके। विभाग द्वारा रा.कृ.वि.यो. के अन्तर्गत 2008-09 से कार्यक्रम बैफ के माध्यम से चलाया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत डी.सी.डी.सी. क्षेत्र में सभी बछियों को निबंधित, पट्टीकरण, कृमीमुक्त, टीकाकरण एवं बीमित करना था। इसके अलावे, काफ स्टार्टर पर 100 *प्रतिशत्* अनुदान एवं संतुलित आहार पर ₹ 5 प्रति किलोग्राम अनुदान किसानों को दिया जाना था।

2009-11 के दौरान सरकार द्वारा ₹ 14.68 करोड़ स्वीकृत किया गया लेकिन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बैफ को ₹ 11.21 करोड़ विमुक्त किया गया। वर्ष 2011-12 में बैफ को कोई भी निधि विमुक्त नहीं किया गया। ₹ 11.21 करोड़ के विरूद्ध मात्र ₹ 3.22 करोड़ व्यय किया गया एवं 31 मार्च 2012 को बैफ के पास ₹ आठ करोड़ शेष था।

गव्य विकास निदेशालय द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के विश्लेषण से उद्घटित हुआ कि बछिया पालन कार्यक्रम में कम उपलब्धि प्राप्त किया गया था जैसा कि **तालिका-7** में दर्शाया गया है।

तालिका-7: बछिया पालन कार्यक्रम का लक्ष्य एवं उपलब्धि

मद	लक्ष्य (2009-12)	इकाई	उपलब्धि			
			2009-10	2010-11	2011-12	कुल
पंजीकरण	16000	संख्या	8144	14608	18715	41467
काफ स्टार्टर (खाद्य सामग्री)	320	टन	49.42	135.99	241.28	426.69
कृमि मुक्तिकरण	16000	संख्या	13839	13106	15868	42813
टीकाकरण	16000	संख्या	7000	14064	शून्य	21064
संतुलित आहार	21300	टन	1026.88	1461.32	2250.88	4739.08
बीमा	16000	संख्या	890	5165	3517	9572

स्रोत: गव्य विकास निदेशालय

- 2009-12 के दौरान 16,000 बछिया के लक्ष्य के विरूद्ध 41,467 बछिया निबंधित किये गये।
- कुल 41,467 निबंधित बछियों के विरूद्ध कृमि विमुक्त 42,813 बछिया की उपलब्धि त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।
- 16,000 बछिया के लिए 21,300 टन संतुलित आहार के लक्ष्य के विरूद्ध 2009-12 के दौरान 4,739.08 टन संतुलित आहार उपयोग किया गया। यह मात्रा सिर्फ 3,560 बछिया के लिए पर्याप्त था।
- कुल लक्ष्य 16,000 बछिया एवं निबंधित 41,467 के विरूद्ध कुल 9,572 बछियों का बीमा किया गया था।

विभाग द्वारा बताया गया कि निबंधित संख्या यह इंगित नहीं करता था कि सभी बछियों को पूरे मात्रा का लाभ दिया जाना था। यह राशि की उपलब्धता के आधार पर अधकितम बछिया को दिया जाना था और बीमाकरण की प्रक्रिया जारी थी। जवाब सही नहीं था क्योंकि लक्ष्य के विरूद्ध भी उपलब्धि कम थी।

4.1.9.8 ग्रासलैण्ड विकास योजना (शत प्रतिशत् केंद्र प्रायोजित)

भूमि की अनुपलब्धता के कारण पाँच नमूना-जाँचित जिलों में ग्रासलैंड योजना कार्यान्वित नहीं की गयी

ग्रासलैण्ड विकास योजनान्तर्गत राज्य के 22 जिलों के 220 हेक्टेयर में 22 ग्रासलैण्ड विकास हेतु भारत सरकार ने ₹ 1.87 करोड़[61] (शत प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान) स्वीकृत किया (दिसम्बर 2008)। इसका उद्देश्य बंजर भूमि का विकास करके पूरे वर्ष पशुओं के लिए हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना था जिससे मृदा कटाव भी रोका जाता। जि.ग.वि.पदा. द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से भूमि की व्यवस्था किया जाना था और बैफ द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाना था।

नमूना-जाँचित जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि 2009-12 के दौरान ₹ 14.05 लाख व्यय करके तीन[62] जिलों में 30 हेक्टेयर में ग्रासलैण्ड स्थापित किये गये थे और अन्य पाँच[63] जिलों में भूमि की अनुपलब्धता/विवादित भूमि के कारण ग्रासलैण्ड का सृजन नही किया गया था यद्यपि बीज और खाद, पर्यवेक्षकों के मजदूरी इत्यादि पर ₹ 2.81 लाख[64] व्यय किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप नमूना-जाँचित जिलों में मवेशी प्रर्याप्त हरा चारा से वंचित रहे। पूर्व में आवंटित राशि के कम उपयोग के कारण विभाग ने शेष 50 *प्रतिशत्* राशि भारत सरकार से प्राप्त नहीं किया।

विभाग ने बताया कि भूमि की उपलब्धता की प्रगति को उपायुक्तों के स्तर पर अनुकरण हेतु जि.ग.वि.पदा. को निर्देशित किया गया था।

4.1.9.9 दूध प्रापण, संसाधन एवं विपणन

झारखण्ड डेयरी परियोजना (झा.डे.प.) की स्थापना दुग्ध सह शीतक संयंत्रों के वाणिज्यिक संचालन हेतु की गई थी। झा.डे.प. को चलाने के लिए झारखण्ड सरकार और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एन.डी.डी.बी.), आनन्द गुजरात के बीच एक एम.ओ.यू. हस्ताक्षित (दिसम्बर 2007) हुआ था। झा.डे.प. का कार्यान्वयन एन.डी.डी.बी. एवं झा.स. द्वारा संयुक्त रूप से बनाये गये योजना एवं कार्यक्रम के आधार पर किया जाना था। झा.स. के आदेश (नवम्बर 2008)

---

[61] अनुमानित लागत:₹ 8.50 लाख प्रति।

[62] देवघर, दुमका और राँची ₹ 4.25 लाख के दर से (50 *प्रतिशत्*)।

[63] बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गुमला और लातेहार।

[64] बोकारो: ₹ 0.36 लाख एवं धनबाद ₹ 2.45 लाख।

के अनुसार एन.डी.डी.बी. को प्रथम चरण के पाँच वर्षों में 12 जिले आच्छादित किये जाने थे। तथापि, लक्ष्य प्राप्ति की विफलता में एन.डी.डी.बी. को दण्डित करने संबंधी कोई प्रावधान एम.ओ.यू. में नहीं था।

गव्य विकास निदेशालय द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के विशलेषण में उद्घटित हुआ कि 2008-12 के दौरान 2,212 दुग्ध उत्पादकों (सात *प्रतिशत*) को आच्छादित करते हुए एन.डी.डी.बी. द्वारा मात्र तीन जिलों[65](25 *प्रतिशत*) को ही आच्छादित किया जा सका। कुल दूध प्रापण 7,330 लीटर प्रतिदिन (11 *प्रतिशत*) था यद्यपि 2008-12 के दौरान एन.डी.डी.बी. द्वारा कुल आबंटित ₹ 26.80 करोड़ में से ₹ 11.10 करोड़ व्यय किये गये। लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण ***परिशिष्ट-4.8*** में दिया गया है। एम.ओ.यू. की अवधि 06 दिसम्बर 2012 को समाप्त हो गई और एन.डी.डी.बी. द्वारा परियोजना का आगे प्रबंधन हेतु असमर्थता व्यक्त की गई (06 दिसम्बर 2012)। अतः, वाणिज्यिक संचालन हेतु झा.डे.प. का प्रभार लेने संबंधी निर्णय सरकार द्वारा लिया गया (दिसम्बर 2012)।

निदेशक ने बताया कि (अगस्त 2012) दुधारू पशु वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा किसानों को राशि उपलब्ध कराने में अरूचि दिखायी गई जो झा.डे.प. के लक्ष्य की कम उपलब्धि का मुख्य कारण था। उत्तर सही नहीं था क्योंकि एम.ओ.यू. करने के समय नयी व्यवस्था और उससे जुड़ी कठिनाइयों से विभाग अवगत था।

इस प्रकार, एन.डी.डी.बी. को तय लक्ष्य की प्राप्ति हेतु गतिशील बनाने में विभाग असफल हुआ। यद्यपि इनके द्वारा एन.डी.डी.बी. के साथ समय-समय पर कई बैठकें आयोजित की गई। एम.ओ.यू. में मुआवजा का प्रावधान नहीं होने के कारण विभाग एन.डी.डी.बी. को उसके खराब उपलब्धि के लिए दण्डित भी नहीं कर सका।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया।

4.1.9.10 विभिन्न योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया जाना

संदर्श योजना (2007-12) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न पशुपालन कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन पेशेवर एवं प्रतिष्ठित संगठनों के विशेषज्ञों द्वारा किया जाना था।

लेखापरीक्षा में उद्घटित हुआ कि 2007-11 के दौरान इस हेतु कोई राशि उद्व्ययित नहीं की गई थी। 2011-12 में यद्यपि ₹ 14.32 लाख स्वीकृत किये गये थे। उसके विरूद्ध मात्र ₹ 3 लाख आवंटित किया गया जिसका भी इस्तेमाल

[65] लोहरदगा, रामगढ़ और रॉची।

नहीं हो सका। इस प्रकार, उपर्युक्त अवधि के दौरान ₹ 136.55 करोड़ व्यय से संबंधित कार्यान्वित योजनाओं का मूल्यांकन नहीं किया गया। अत: विभाग कार्यान्वित योजनाओं के प्रभाव की जानकारी से वंचित रहा।

गव्य विकास प्रक्षेत्र में यद्यपि प्रभाव मूल्यांकन नाबार्ड कन्सल्टेन्सी सर्विसेस के द्वारा किया गया था जिसने राज्य में गव्य विकास हेतु विस्तृत रोड मैप प्रदान किया था।

4.1.10 अनुश्रवण

विभाग के आदेशानुसार (फरवरी 2005) गव्य विकास निदेशालय के सभी योजनाओं का भौतिक सत्यापन वर्ष में दो बार संयुक्त क्षेत्रीय निदेशक द्वारा किया जाना था। विभाग ने आदेश दिया (नवम्बर 2009) कि केवल स्थापित कामर्शियल एवं मोडर्न डेयरी का शत् प्रतिशत् भौतिक सत्यापन क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक द्वारा प्रत्येक छ: महीने में एक बार किया जाए।

पशुपालन निदेशालय द्वार अनुश्रवण से संबंधित कोई आदेश निर्गत नहीं हुआ था। तथापि, सरकार के स्वीकृति आदेशों में विशेष योजनाओं के अनुश्रवण हेतु कुछ अनुदेश समाहित थे।

छ:[66] नमूना-जाँचित जि.ग.वि.प. के द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाओं की संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि 2007-12 के दौरान वांछित 60 निरीक्षणों में से क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक द्वारा मात्र सात निरीक्षण किये गये थे। निरीक्षणों के विवरण ***परिशिष्ट-4.9*** में दिये गये हैं। लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर दो[67] जि.ग.वि.प. ने बताया (अप्रैल एवं मई 2012) कि यद्यपि निरीक्षण किये गये थे लेकिन इस संबंध में कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।

स्वीकृति आदेशों (2011-12) में सम्मिलित अनुदेशों के अनुसार योजनाओं का अनुश्रवण निदेशक द्वारा छ: महीने में एक बार, जि.प.पदा. द्वारा तीन महीने में एक बार एवं बी.ए.एच.ओ. द्वारा महीने में एक बार किया जाना था। इस हेतु विहित अनुश्रवण-सह-निर्देशिका पुस्तक में प्रविष्टि किया जाना था। लेकिन इस अवधि में किये गये निरीक्षण से संबंधित कोई अभिलेख नमूना-जाँचित जिलों में उपलब्ध नहीं थे। वांछित निरीक्षण के अभाव में अनियमितता/कमियों से इनकार नहीं किया जा सकता।

विभाग ने बताया (जनवरी 2013) कि मुख्यालय स्तर पर 2011-12 में एक अनुश्रवण कोषांग की स्थापना चालू योजनाओं के अनुश्रवण हेतु की गई थी।

---

[66] बोकारो, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गुमला और लातेहार।

[67] देवघर और राँची

4.1.11 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे कोई संगठन अपने को यह आश्वस्त करता है कि विहित व्यवस्था ठीक से कार्यरत है। आन्तरिक लेखापरीक्षा, आन्तरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अवयव है। वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण एवं मुख्य लेखा नियंत्रक के नेतृत्व में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग सहित सभी विभागों का आन्तरिक लेखापरीक्षा करता है। पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग का कोई अपना आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं है।

संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि वित्त विभाग के आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा 2007-12 के दौरान नमूना-जाँचित जिलों का लेखापरीक्षा नहीं किया गया था। इस प्रकार, विभाग के क्रियाकलापों में विहित कमियों एवं अनियमितताओं का पता लगाया जाना शेष रह गया।

4.1.12 निष्कर्ष

पशुपालन एवं गव्य विकास निदेशालयों के योजना अनुश्रवण एवं परियोजना कार्यान्वयन में कमियाँ थी जैसा कि निम्नलिखित लेखापरीक्षा निष्कर्षों से प्रतिबिम्बित हुई।

- राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) के प्रावधानों के अनुसार वांछित 1756 पशु अस्पतालों के विरूद्ध राज्य में मात्र 451 पशु अस्पताल थे। पशु अस्पतालों/औषधालयों में बुनियादी सुविधाएं अपर्याप्त थी। राज्य में विभाग के पास सिर्फ आठ कार्यरत दूध शीतक संयंत्र थे जो दुग्ध उत्पादकों के दूध की लाभकारी बिक्री सुविधा प्रदान करने जैसे उद्देश्य को बुरी तरह से प्रभावित किया। यहाँ तक कि मिल्क बूथें भी स्थल की कमी के कारण स्थापित नहीं किये गये थे। इसके अलावे, यहाँ पशु चिकित्सकों को कमी (32 *प्रतिशत*) थी।

- मुख्यत: निधियों के आबंटन में विलम्ब के कारण योजना राशि में अत्यधिक बचत थी एवं मार्च महीनें में व्यय का वेग था। अनुदान की बड़ी राशि विभिन्न बैंकों में पड़े हुए थे एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी (जि.प.पदा.) द्वारा लाभुकों के बैंक खाते में अनुदान जमा किये जाने का अनुश्रवण नहीं किया गया था।

- बकरा विकास योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा बकरों की खरीद एवं बकरा आवास निर्माण को समक्रमित नहीं किया गया। बकरा क्रय हेतु उपलब्ध राशि को विचलित किया गया। अनुश्रवण की कमी के कारण योजना का

कार्यान्वयन बाधित हुआ। लाभुकों से साक्षात्कार में बकरियों की मृत्यु उद्घटित हुए थे जिसकी जानकारी जि.प.पदा. को नहीं थी।

- कुक्कुट विकास योजना के अन्तर्गत लाभुकों के चयन में विलम्ब के कारण तय लक्ष्य से कम उपलब्धि प्राप्त हुए। मुर्गियों की मृत्यु की जानकारी जि.प.पदा. को नहीं थी।
- नमूना-जाँचित जिलों में 38 लाभुकों के साक्षात्कार से उद्घाटित हुआ कि 2009-12 की अवधि में यद्यपि 17 लाभुकों के 46 सूकर मर गये थे लेकिन सूकरों के बीमित नहीं होने के कारण कोई दावा नहीं किया जा सका क्योंकि राशि की उपलब्धता के बावजूद लाभुकों के बीच जि.प.पदा. जागरूकता पैदा करने में असफल थे।
- पशु रोगों की रोकथाम हेतु राज्यों को सहायता (एस्काड) के अन्तर्गत, 2007-12 की अवधि के दौरान टीकाकरण लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी थी। यह कमी टीकाओं के विलम्बित/कम आपूर्ति के कारण एफ.एम.डी. में सात *प्रतिशत्*, पी.पी.आर. में 89 *प्रतिशत्*, बी.क्यू. और एच.एस. में 40 *प्रतिशत्* तथा रानीखेत में 88 *प्रतिशत्* थी।
- दुधारू पशु वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत गायों के कम क्रय के कारण 2007-11 की अवधि के दौरान नमूना-जाँचित जिलों में 3,670 इकाइयों में से मात्र 2,611 इकाईयाँ (71 *प्रतिशत्*) ही स्थापित हो पायी।
- नेशनल डेयरी डेवेलपमेंट बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) द्वारा प्रबंधित (एम.ओ.यू. के अन्तर्गत) झारखण्ड डेरी प्रोजेक्ट (जे.डी.पी.) 2008-12 की अवधि के दौरान ₹ 11.10 करोड़ व्यय के पश्चात् कुल 12 में से तीन जिला ही दूध प्रापण एवं संसाधन हेतु आच्छादित कर सका। विभाग द्वारा जे.डी.पी. का प्रबंधन प्रभार एम.ओ.यू. के समाप्त होने के बाद ही लिया गया (दिसम्बर 2012)।

4.1.13 अनुशंसाएं

- *पशु चिकित्सालयों, शीतक संयंत्रों, मिल्क बूथों एवं पशु चिकित्सकों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।*
- *योजना राशि का अधिकतम उपयोग एवं मार्च में व्यय के वेग को कम करने के लिए ससमय राशि का आवंटन सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बैंकों में पड़े अनुदान की राशि का अनुश्रवण भी सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।*
- *सरकार को बकरा क्रय एवं योजना का अनुश्रवण सुनिश्चित करना चाहिए।*

- *योजना का वांछित लाभ प्राप्त करने के लिए मुर्गियों की स्वास्थ्य देख-भाल एवं नियमित अनुवर्तन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।*
- *लाभुकों को हानि से बचाने के लिए सूकरों की बीमा संबंधी जागरूकता विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।*
- *टीकाकरण द्वारा बीमारियों के नियंत्रण हेतु टीका-द्रव्यों का ससमय एवं पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।*
- *वांछित लाभों की प्राप्ति हेतु योजना में तय कुल गायों का क्रय सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।*

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2012)। उनसे प्राप्त (दिसम्बर 2012 एवं जनवरी 2013) उत्तर को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त स्थान पर सम्मिलित किये गए।